"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2003—आषाढ़ 27, शक 1925

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जून 2003

क्रमांक एफ 2-28/2002/1-8.—श्री याकूब खेस्स, स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नियुक्त किया जाता है. तथा इन्हें श्रम, खेल एवं युवक कल्याण विभाग में पदस्थ किया जाता है.

2. श्री के. सी. राठौर, अवर सचिव, जो वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर गये हैं, उनके वापस छत्तीसगढ़ आने पर यदि अवर सचिव का रिक्त पद उपलब्ध नहीं रहा, तो श्री याकूब खेस्स को पुनः स्टाफ आफिसर के पद पर पदस्थ किया जा सकेगा.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/1/2.—श्री पी. सी. दलेई, भा. प्र. से. (1984) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (सहकारिता), पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, रायपुर को आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

से संचालक, कृषि एवं पशुपालन, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री अजयवारा प्रसाद आदिथाला, भा. प्र. से. (एच. पी. 1986) संचालक, कृषि एवं पशुपालन को आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (सहकारिता) एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

श्री आदिथाला द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. एस. मिश्रा, सचिव, मुख्यमंत्री के कार्यभार से मुक्त होंगे.

3. श्री आर. पी. जैन, भा. प्र. से. (1990) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से, सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री मंशाराम ठाकुर, भा. प्र. से. (1991) सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा इनकी सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंजी जाती है. श्री ठाकुर को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

5. श्री सुब्रत साहू, भा. प्र. से. (1992) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेते हुए उन्हें आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2003

क्रमांक 533/2003/1-8/स्था.—सुश्री ओमेगा युनाईस टोप्पो, उप सचिव, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग को दिनांक 1-5-2003 से 20-5-2003 तक 20 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री टोप्पो को उप सचिव, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री ओमेगा युनाईस टोप्पो. अवकाश पर नहीं जाती तो उप सचिव, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग के पद पर कार्य करती रहती.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जून 2003

क्रमांक 1487/1175/2003/1/2/लीव.—इस विभाग के, आदेश दिनांक 13-6-2003 द्वारा श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 1-7-2003 से 11-7-2003 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, तथा चालू प्रभार श्री आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर, दुर्ग को सौंपा गया है. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब कलेक्टर, राजनांदगांव का चालू प्रभार श्री अमृत खलखो, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

2. उक्त आदेश दिनांक 13-6-2003 के बिन्दु क्रमांक 2 से 4 यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2003

क्रमांक 651/2003/1-8/स्था.—श्री सतीश पाण्डेय, उप-सचिव, वित्त विभाग को 23-6-2003 से 5-7-2003 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 6-7-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सतीश पाण्डेय को उप सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार

देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो उप सचिव, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2003

क्रमांक 653/2003/1-8/स्था.—श्री जयसिंह म्हस्के, उप-सचिव, वन विभाग को 5-6-2003 से 13-6-2003 तक 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 14 एवं 15-6-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जयसिंह म्हस्के को उप सचिव, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जयसिंह म्हस्के अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. भट्टर, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई, 2003 (आषाढ़ 12, 1925)

क्रमांक 7161/विधान/2003.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 3 जुलाई, 2003 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"भारत के संविधान के अनुच्छेद-174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं एतद्द्वारा इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 28 जुलाई, 2003 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से बलौदा बाजार मार्ग स्थित विधान सभा भवन, रायपुर में समवेत् होने के लिये आमंत्रित करता हूं.

रायपुर,
दिनांक 3 जुलाई, 2003

लेफ्टिनेन्ट-जनरल के. एम. सेठ
पी.वि.एस.एम.,ए.वी.एस.एम. (से. नि.)
राज्यपाल, छत्तीसगढ़"

हस्ता/-
भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जून 2003

क्रमांक 4255/डी. 15/127/03-04/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 सहपठित धारा 69 की उपधारा (1) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा ऐसे गेहूं पर जो छत्तीसगढ़ में स्थित रोलर फ्लोर मिलों के द्वारा प्रसंस्करण के लिये लाया/खरीदा जाता है, मण्डी शुल्क पर छूट प्रदान करती है. यह छूट 1 दिसंबर 2002 से 31 मार्च 2004 तक प्रभावशील होगी. उप विधि 20 (8) के प्रत्येक उपबंध के अनुसार संबंधित मण्डी में जहां रोलर फ्लोर मिल स्थित हैं पाक्षिक विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा.

Raipur, the 28th June 2003

No. 4255/D-15-127/03-04/14-3.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 69 read with Section (4) of the Chhattisgarh Krishi Upaj mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Governmet hereby exempts the market fees on wheat which is brought and bought for the processing by the roller flour mills situated in Chhattisgarh. This exemption shall be effective from 1st December 2002 to 31st March 2004. As per provision of bye laws 20 (8) the fortnightly statement shall be compulsorily submitted in the concerned Mandi where the roller flour mill is situated.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/953.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :— .

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	डोंगिया प. ह. नं. 4	0.209	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा	कारीगांव माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैराखुर्द प. ह. नं.18	2.460	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा	गिरगिरा माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/178.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	खोंधर	0.866	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा	सिरिथागढ़ माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/610.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	ढेंकुनाभांठा प. ह. नं. 4	3.148	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा	खैरमुड़ा माइनर, गिरगिरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/692.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	तुषार प. ह. नं. 13	0.745	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, शक्ती.	बरदुली शाखा वितरक नहर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/693.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	ओड़ेकेरा प. ह. नं. 18	4.856	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	बरदुली शाखा वितरक नहर (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/694.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	अकलसरा प. ह. नं. 6	0.099	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, शक्ती.	अकलसरा माइनर क्रमांक 1 (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/695.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	मलनीचार प. ह. नं. 4	0.280	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	सलनी माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/696.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	सलनी प. ह. नं. 4	0.086	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, शक्ती.	सलनी सब माइनर क्र. 2

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/697.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	भोथिया प. ह. नं. 5	0.127	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	मलनी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/698.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	दर्राभांठा प. ह. नं. 1	0.097	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, शक्ती.	अकलसरा माइनर क्रमांक 1

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/699.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर चांपा	जैजैपुर	जैजैपुर प. ह. नं. 14	5.107	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	परसाडीह वितरक नहर (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/700.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जैजैपुर प. ह. नं. 14	0.989	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	बरदुली शाखा वितरक नहर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 74/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-आमनदुला, प. ह. नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.699 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1473	0.028
1472	0.121
1481/2	0.012
1474/4	0.028
1474/3	0.040
1474/2	0.036
1474/1	0.045
1477, 1478	0.138
685	0.077
686/2	0.012
686/1	0.024
688	0.040
689	0.040
690/1	0.016
690/2	0.032
691	0.008
677/1	0.024
675/2	0.077

(1)	(2)
675/1	0.016
674/1	0.069
665/1 क	0.016
665/2	0.073
664/1	0.085
664/2	0.057
663/1	0.113
659/1	0.024
660	0.024
656/2	0.024
658	0.004
656/1	0.095
602	0.053
600	0.065
599/3	0.049
608	0.053
609/1	0.016
594/2	0.028
609/2	0.089
593/2	0.008
592/1	0.008
591/1	0.012
610/3	0.028
613, 615	0.077
586	0.053
616	0.053
587	0.097
458/2	0.081
459	0.020
407	0.053
461	0.008
455/4	0.053
454	0.162
450	0.089
451/2	0.146
योग	2.699

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोता उप वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 75/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-पोता, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.255 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
कलमी माइनर	
19/3	0.012
19/4	0.016
19/8	0.073
627/2	0.162
628/2	0.061
628/3	0.061
628/1	0.162
542	0.032
534/3	0.065
534/2	0.065
534/1	0.065
527/2	0.081
528	0.057
529/1	0.142
530	0.130
531/1	0.024
673/4	0.065
675/3	0.008
531/2	0.024
651/3	0.081
681/1	0.008
652	0.109

(1)	(2)
650	0.417
649	0.008
673/2	0.210
675/2	0.130
682/2	0.085
681/6	0.130
534/5	0.073
योग	2.556

पोता सब माइनर

(1)	(2)
527/2	0.093
526	0.108
529/1	0.012
656/1	0.380
656/3	0.049
660/2	0.049
657/2	0.008
योग	0.699
कुल योग	3.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमी माइनर निर्माण हेतु एवं पोता सब माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 76/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-मालखरौदा, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.807 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.040
3/1	0.065
4/1	0.567
7/2, 3	0.215
7/4	0.154
7/14	0.121
7/5	0.057
7/7	0.283
8	0.113
13	0.004
554	0.486
556/3	0.053
556/1	0.243
556/2	0.020
557	0.061
600/3	0.040
600/4	0.053
600/1	0.105
599/3	0.101
599/5	0.097
599/6	0.081
599/7	0.040
778/2	0.154
778/3	0.154
769/1	0.121
937/5	0.081
926	0.049
927/2	0.028
927/1	0.040
927/4	0.049
935	0.036
934	0.028

(1)	(2)
933/1	0.040
932	0.069
955	0.036
956	0.020
958	0.020
952/1	0.182
953/3	0.053
962/9	0.073
962/8	0.004
962/10	0.097
962/11	0.061
962/6 ख	0.024
962/6 क	0.073
1034	0.020
1035	0.045
1036	0.028
1015/1	0.020
1015/4	0.065
1016	0.004
1014/2	0.045
1063	0.053
1064/1	0.032
962/3	0.004
योग	4.807

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मालखरौदा वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 83/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-मालखरौदा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.456 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4/1	0.190
6/1	0.170
17/9	0.266
171/10	0.223
19	0.049
18	0.032
74/2	0.045
68/1	0.008
68/2	0.089
69/1	0.032
69/2	0.032
70	0.085
71	0.073
75/1	0.049
76	0.113
योग	1.456

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मालखरौदा सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 85/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है..अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-कारीगांव, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.886 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
981	0.048
985	0.068
986	0.060
992	0.004
993	0.008
998	0.048
999	0.052
1000, 1001	0.048
1002	0.028
1003	0.004
1004/2	0.068
1005/1	0.032
1005/2	0.072
890/5	0.048
846/1	0.032
845/1	0.105
820/1-2	0.198
821	0.004
823	0.048
826/1	0.080
826/3	0.052
802/1 ख	0.032
812	0.052
802/1 क	0.141
803/1	0.040
801	0.020
771	0.133
766/1	0.129
762/1	0.028
764	0.072
743	0.020
762/3	0.048
763	0.064
योग	1.886

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कारीगांव माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 90/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-पोता, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.667 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
331/6	0.008
331/4	0.012
330/2	0.008
330/1	0.138
330/3	0.183
271	0.045
272/2	0.042

(1)	(2)
839	0.231
योग	0.667

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुक्ता माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 93/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-धुरकोट, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.901 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
892/3	0.113
55/2, 4, 5	0.093
55/6, 55/7, 8	0.073
55/1	0.129
790/6	0.081
790/11	0.040
795	0.020
805/1	0.044
805/2	0.044
806, 807	0.028
770/50	0.081
803/3	0.044
800/2	0.036
800/1	0.057
770/4	0.124
820/1	0.065
864/1	0.134
864/2	0.227
866/1, 2	0.008
859	0.085
858, 876/1	0.154
856/2	0.028
871/2	0.023
872/1	0.004
855/1	0.036
876/2	0.081
860	0.065
857/8	0.057
857/2	0.158
857/13	0.008
853/6, 853/7	0.036
855/2	0.032
854/1	0.008
854/2	0.016
134/2, 134/3, 134/4	0.049
134/5	0.069
132/2	0.032
131/3	0.069
131/1	0.069
131/2	0.057
130/2	0.073
129/3	0.040
129/2	0.053
127/1	0.073
123/5	0.081
योग	2.901

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाधा पाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 96/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बंजारी, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.178 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4, 5	0.141
3/1	0.145
14/3	0.085
14/4	0.057
14/1	0.061
14/5	0.145
55	0.117
56/1	0.113
54/5	0.004
54/4	0.053
66/3	0.049
57/3	0.129
66/2	0.032
130	0.178
129/1	0.061
134/8	0.036
135/1	0.049
135/2	0.049
136, 138	0.040
137	0.036
149	0.045
100	0.097
99	0.036
342/2	0.008
342/1	0.117
341/2	0.016
343/1	0.101
343/2	0.089
344	0.089
योग	2.178

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लिमगांव माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 97/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सेन्दुरस, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.816 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
399/3	0.073
399/1	0.114
400	0.116
418	0.057
416/2	0.032
415/2	0.049

(1)	(2)
414/4	0.089
412/4	0.004
413/1	0.057
410/1	0.097
509/4	0.130
510/3	0.028
504/4	0.020
504/8	0.024
504/3	0.020
511/5-6	0.073
518/1, 2	0.077
519/3-4	0.044
519/2	0.044
523/2	0.162
523/7	0.057
523/5	0.053
523/4	0.081
524/2	0.020
524/1	0.170
526	0.125
योग	1.816

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोता उप वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 98/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पोता, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
पोता उप वितरक नहर	
19/2, 3, 5, 6, 8	1.011
20	0.210
22	0.069
30/1	0.101
75/1	0.215
76	0.004
74/4	0.077
72/2	0.085
70/1	0.101
71/2	0.134
61, 62	0.247
57/3	0.049
60	0.053
59	0.045
58/3	0.097
120, 122	0.036
125/1, 123	0.101
125/1, 125/3	0.174
155	0.620
154/1	0.012
168/4	0.138
168/3	0.166
168/1	0.287
168/2	0.093
171/3	0.028
171/2	0.089
171/1	0.028
171/14	0.162
171/4	0.085
171/5	0.101

(1)	(2)
171/6	0.107
योग	4.725

सारसडोल माइनर

(1)	(2)
19/1, 2, 5	0.158
629/2	0.218
योग	0.376
कुल योग	5.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोता उप वितरक एवं सारसडोल माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्र. 101/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम आमनदुला, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.927 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1773	0.056
1774/1	0.053
1774/2	0.053
1774/3	0.040
1779/3	0.061
1780	0.053
1779/4	0.024
1778	0.053
1781	0.053
1782	0.044
1783	0.044
1789/2	0.049
1791	0.053
1787/2	0.024
1792/1	0.053
1797	0.077
1798/2	0.077
1799/1	0.053
1800	0.085
1802	0.085
1803/1	0.020
1804/3	0.149
1713/1	0.081
1715/1	0.016
1714/1	0.073
1713/3	0.057
1711/4	0.057
1711/6	0.053
1711/2, 3	0.073
1698/2	0.053
1714/2	0.004
1699	0.081
1700	0.154
1670/2	0.085
1670/1	0.053
1687	0.081
1671	0.061
1685/1	0.121
1680/1	0.044
1680/2	0.053
1680/4	0.040
1681	0.020
1678	0.020

(1)	(2)
1677	0.053
1679	0.040
1669/2	0.053
1669/1	0.020
589	0.186
615	0.016
616	0.020
योग	2.927

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवागांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्र. 102/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम नवागांव, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.663 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
458/1	0.024
461, 462	0.112
480/1	0.016
480/2, 480/3	0.052
464	0.120
450/1, 451	0.064
452, 453	0.072
455/2	0.044
454/2	0.040
450/2	0.048
458/2	0.052
459	0.040
460/2, 460/3	0.032
463	0.068
474	0.044
465/2	0.040
467	0.052
466/1	0.056
619	0.036
616	0.024
617	0.048
622/10	0.056
622/1	0.076
622/3	0.060
641/3	0.068
636/1	0.072
635/3	0.071
622/5	0.060
621	0.004
623	0.056
624/2	0.052
624/4	0.076
639/1	0.012
625	0.024
636/2	0.016
636/4	0.068
635/4	0.012
635/1	0.068
628/14	0.052
628/12	0.048
628/11	0.056
628/8	0.024
628/3	0.004
628/4, 628/7	0.132
629	0.088
768/3	0.084

(1)	(2)
768/2	0.012
768/1	0.084
793/7	0.008
769/3	0.084
769/2	0.052
योग	2.663

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवागांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्र. 104/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-चरौदा, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.515 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
187/2, 3	0.121
187/1	0.125
187/4	0.110
195/17	0.090
195/23	0.004
178/1	0.078
212/4	0.076
174/6	0.132
212/2	0.090
174/3	0.088
174/9	0.050
174/1	0.328
151/2	0.090
151/7	0.016
151/1	0.012
151/11	0.094
151/1	0.028
124/1	0.115
139	0.004
138	0.048
124/6	0.104
301/3	0.155
301/4	0.128
304/2	0.096
398	0.040
395/4	0.036
395/2	0.035
405/1	0.016
405/2	0.016
411/6	0.056
411/7	0.051
417/2	0.280
418	0.040
417/1	0.040
91	0.133
59/2	0.170
59/3	0.064
59/4	0.080
87/1	0.170
87/1	0.206
87/2	0.004
78/1	0.014
78/2	0.126
76/1	0.117
73/1	0.073
76/2	0.068
72/1	0.040
72/3	0.069
72/2	0.077

(1)	(2)
68/2	0.050
71/5	0.008
69/1	0.165
26/1, से 5	0.036
25/1	0.101
25/2	0.060
21/3	0.052
21/5	0.056
41	0.162
34/2	0.081
40/2	0.089
39/3	0.037
38/3	0.060
38/5	0.060
48	0.081
47/3	0.016
47/6	0.113
47/5	0.012
47/2	0.065
47/9	0.008
योग	5.515

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--चरौदा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्र. 105/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील- मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम- बासीन, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल--2.784 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/7	0.081
1/1	0.065
1/6	0.004
1/5	0.049
220	0.020
1/8 ख	0.053
1/8 क	0.041
1/8 ग	0.024
2	0.045
61	0.008
4/1	0.069
4/2	0.012
3/1	0.004
3/2	0.024
51/1 ग	0.020
51/1 घ	0.020
51/1 ख	0.061
51/1 ङ	0.016
576/2	0.045
577/1	0.036
51/1 घ	0.146
65/2	0.085
704, 65/1	0.053
63	0.004
62	0.077
574/4	0.049
58/2	0.126
58/1, 3	0.077
54/4	0.032
79	0.020
194, 195/1	0.093
196/2, 197/2	0.008
195/3	0.004
209/2	0.057
209/5	0.057
568, 569/1, 570/1, 2	0.077
209/1	0.004
209/3	0.061
215/1	0.049

(1)	(2)
208/2	0.012
214	0.097
574/5	0.040
537/4	0.032
216/5	0.089
216/8	0.105
575/2	0.041
218/8	0.065
219	0.065
564	0.036
569/2	0.036
573/2	0.045
577/2	0.032
576/1	0.036
539/1	0.036
539/2	0.020
538/1	0.028
538/2, 3	0.040
537/10	0.024
537/14	0.024
537/13	0.032
537/7	0.049
523/5	0.020
521/1	0.004
योग	2.784

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरपाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर चाम्पा, दिनांक 3 मई 2003

क्र. 475/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-खैरमुड़ा, प. ह. नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.186 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
934/1	0.069
956	0.012
935	0.133
1006, 1007	0.133
1004, 1005	0.028
931/5	0.117
976/1 क	0.077
940/2	0.073
1075	0.004
939	0.020
940/1	0.044
1082/3	0.061
941	0.061
942, 943	0.077
947	0.061
1014	0.092
954	0.040
955	0.077
957/4	0.028
959/7	0.073
1002/2	0.012
946/1, 946/2	0.008
958	0.028
957/1	0.008
959/2	0.040
959/3	0.008
1002/3	0.061
965/2	0.061
963/2	0.061
962/1, 962/2	0.012
976/1 ग	0.061
1082	0.053

(1)	(2)
1013/1, 1013/2 क	0.049
1010/2, 1011/2	0.040
1013/1, 1013/2 ख	0.032
1010/3, 1011/3	0.032
1013/1, 1013/ 2ग	0.012
1082/4	0.057
1081/4, 1081/3	0.061
1081/2	0.020
1081/1	0.016
1076	0.081
1078	0.016
1077	0.044
931/1	0.032
योग 45	2.186

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लिचाई पाली ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 मई 2003

क्र. 554/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कटारी, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.543 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
708/1	0.093
716	0.161
715	0.008
671	0.060
672/2	0.016
668/3, 4	0.060
669/1	0.048
670	0.097
योग	0.543

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करीगांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 मई 2003

क्र. 578/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-गोबरा, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.703 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
949	0.020
950, 1, 2, 3, 4	0.061
952	0.072
951	0.121
898/2	0.016

(1)	(2)
897	0.040
896	0.069
845/3	0.004
845/1	0.004
871/3	0.093
846/1	0.049
870/1	0.085
870/2	0.069
योग 13	0.703

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुरकाडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 मई 2003

क्र. 579/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-कुसमुल, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.949 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
422	0.028
423/1	0.008
423/2	0.008
428/1	0.049
427/2	0.036
426/3	0.036
428/2	0.012
429/1	0.061
429/3	0.133
455/1, 455/3	0.247
431	0.065
432, 433	0.137
456	0.085
458/2	0.004
465/1 क, 466/1	0.040
योग	0.949

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फरसवानी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 मई 2003

क्र. 581/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-गोबरा, प. ह. नं. 7
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.763 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
970	0.040

(1)	(2)
1331/1	0.028
1331/2 क ख	0.036
968	0.002
969	0.004
966/1	0.040
1334/1-2	0.153
1345	0.053
1340/2 ख	0.113
1386	0.024
1385	0.040
1381/1	0.012
1381/2	0.060
1379	0.077
1378	0.040
1376	0.182
1374/3	0.045
1373	0.045
1370/1, 2, 3	0.049
1369	0.049
1368	0.040
1366/1	0.053
1365	0.049
1364	0.036
1363	0.024
1405	0.073
1408/2	0.073
1409	0.032
1413/1	0.016
1413/2	0.089
1414	0.053
1415/1	0.036
1416/2	0.036
1417	0.061
योग 33	1.763

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटेकोनी छोटे माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 मई 2003

क्र. 582/सा-भू/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघरा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.796 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
508/2	0.069
499/2	0.045
509	0.069
498	0.085
448/4	0.069
497/1 क	0.045
497/1 ख, 497/1 ग	0.069
497/3	0.065
487/1	0.145
487/4	0.004
480/5	0.024
482/2	0.036
480/7	0.057
480/8	0.077
482/2	0.153
481	0.012
473/2	0.004
468/4	0.065
474/2	0.049
472/3	0.040
468/2	0.069
454	0.077

(1)	(2)
468/6	0.040
453/1	0.016
453/2	0.085
452/1	0.045
445/1	0.016
451	0.036
448/8	0.101
448/12	0.012
448/10	0.036
448/3	0.081
योग	1.796

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छोटेकोट माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 583/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-टाटा, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल 1.199 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
79	0.160
77	0.053
100	0.032
93/1	0.012
98	0.036
106	0.056
97/1	0.036
179/1	0.149
168/2	0.004
169	0.020
170	0.032
174/2	0.226
171	0.048
172	0.125
99	0.073
148	0.004
156	0.008
173/2	0.125
योग	1.199

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर (उलट प्रकरण).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 584/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बोकरेल, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.506 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
75/3	0.072
110	0.064
109/1	0.016
111	0.295
112/1, 2	0.042
174/2	0.117
173/1	0.032
172	0.024
171	0.015
113/2	0.042
113/1	0.042
169/3	0.044
158	0.076
126/1	0.044
153/1	0.025
148	0.070
150	0.008
127/1	0.040
147	0.028
146	0.170
131	0.033
129	0.004
153/2	0.146
95/3	0.057
योग	1.506

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर (उलट प्रकरण).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 585/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अमेराडीह, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.630 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
230/3	0.093
225	0.202
217/2	0.036
217/1	0.049
208/1	0.032
209	0.028
207, 170	0.045
213/1	0.020
169/2, 3	0.125
योग	0.630

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमेरा-डीह सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 586/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भुतहा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.302 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
441	0.073
438/2	0.093
437/8	0.008
437/2	0.089
436	0.032
418/2, 318	0.020
435/2	0.045
330	0.320
431	0.186
434/1	0.036
319/2	0.073
429	0.016
319/1	0.065
320/1	0.036
322, 481	0.040
322/2	0.109
326/1	0.061
योग	1.302

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भुतहा ब्रांच सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 587/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम कुरदा, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल 4.110 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
425/16, 496, 498, 509	0.008
1144	0.097
425/8	0.121
426/1	0.004
426/2	0.077
494	0.089
428/1	0.069
1157	0.101
433/2	0.170
434/2	0.008
1253/1	0.004
437	0.057
434/5, 435/2	0.117
1151/6	0.049
436/2	0.057
1254/2	0.028
436/3	0.016
1253/3, 1253/14	0.028
470/7	0.077
470/18	0.121
459	0.036
1220/3	0.065
372/10	0.004
469	0.125
378/2	0.004
460	0.004
361/2	0.024
467	0.073
466/2	0.040
466/1	0.024
462	0.053
463/1	0.045
377/2	0.036
362/1	0.008
363, 374	0.085
372/5	0.004
1220/1	0.004
372/8	0.004
372/9	0.004
1151/5	0.040

(1)	(2)
1220/2	0.004
372/11	0.004
1220/4	0.004
1253/6	0.020
1253/5	0.008
1253/1	0.028
1237/6	0.004
1329/7	0.117
1329/2	0.004
1237/7	0.036
1107/3	0.024
1107/2	0.040
1108	0.154
1115/3	0.032
1110	0.061
1140/7	0.024
1140/14	0.036
1140/13	0.024
1140/12	0.036
1212/2	0.028
1075/5	0.053
1075/2	0.045
1151/2	0.012
1134/2	0.004
1147/1, 2, 3, 4, 5	0.004
1132/1	0.093
1132/4	0.008
1151/1	0.004
1329/8	0.004
1158/1	0.073
1170,	0.004
1171, 1172	0.053
1156/1	0.008
1173/1	0.134
1173/4	0.004
1175	0.040
1221/2	0.008
1219	0.065
1217/1	0.004
1199/3, 4, 12, 13	0.158
1199/8, 9	0.101
1212/3 ख	0.012
1212/2 ग	0.032
1212/1 क, 1212/2 ख	0.057
1212/ 1 ख, 1212/1 ग	0.024
1211/1	0.077
1228/2	0.065
1209/1	0.154
1209/2	0.081
1326	0.061
योग	4.110

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरपाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 589/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-ढिमानी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.789 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
भागोडीह माइनर	
423	0.223

(1)	(2)
423	0.223
422/4	0.121
422/1	0.142
425/4	0.101
425/8	0.049
426	0.049
428/1	0.146
280/2	0.061
281/13	0.121
281/12	0.053
281/15	0.093
281/14	0.121
281/1	0.113
264/1	0.069
264/2	0.202
178/1	0.105
176	0.085
180	0.178
172/30	0.133
172/4 ख	0.158
172/28	0.101
योग	2.424

भागोडीह माइनर-2

(1)	(2)
422/1	0.036
425/3	0.105
425/2	0.028
388/7	0.049
388/1	0.097
389/5	0.053
389/4	0.049
389/3	0.032
389/1	0.057
386/2	0.044
386/1	0.061
387/1	0.024
386/4	0.077
386/3	0.049
385/5	0.061
385/7	0.028
381/13	0174
381/4	0.138
381/3	0.081
381/2	0.061
380/4	0.024
380/7	0.061
380/6, 10 ख, 11	0.077
380/3	0.036
339/1	0.081
339/3	0.044
योग	1.627

भागोडी माइनर-3

(1)	(2)
425/2	0.040
425/5	0.093
409/1	0.061
428/1	0.061
425/7	0.162
408/2	0.057
408/1	0.061
281/5	0.154
281/4	0.186
285/2	0.008
285/4	0.036
282	0.004
289	0.117
290/1	0.044
291/1, 2	0.044
292/2, 4	0.077
332/12	0.065
332/15	0.028
332/14	0.028
325	0.036
327/1, 2	0.036
332/9	0.069
332/11	0.012
329/1	0.133
332/2	0.053
332/4	0.061

(1)	(2)
281/7	0.012
योग	1.738
कुल योग	5.789

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भागोडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 592/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-ठनगन, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.012 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
452/1	0.044
452/2	0.044
450/3, 451	0.057
450/2	0.020
448/1	0.036
450/1	0.020
447/1	0.049
447/3	0.008
446	0.016
445	0.008
442/1	0.016
442/2	0.020
447/2	0.020
436/2, 436/1	0.089
428/3	0.028
428/2	0.028
428/1	0.028
424	0.012
423	0.032
422	0.020
425	0.008
420, 421	0.049
416	0.073
419/1	0.020
418/1	0.069
418/2	0.069
418/3	0.012
418/4	0.016
417/2	0.040
417/3	0.061
योग	1.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतापाली सब डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 593/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-सुखापाली, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.688 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
265	0.032
260, 662/60	0.020
263	0.016
261, 262/8	0.016
109/2, 295/15	0.057
264/4	0.020
267/6, 262/3	0.012
157/5	0.020
264/1, 264/6, 264/3	0.202
131/6	0.040
113/6, 295/14	0.222
112/1, 295/5	0.121
109/1	0.053
108	0.214
109/3	0.057
259, 262/6	0.012
107	0.049
131/4	0.040
150/1	0.016
151/2	0.089
153	0.016
151/1, 152/1	0.032
151/3	0.040
152/2	0.040
154/7	0.008
154/1	0.024
154/2	0.069
154/3	0.024
154/4	0.008
154/5	0.036
154/6	0.032
155	0.065
157/1	0.089
156/2	0.024
168	0.040
156/1	0.016
158/2, 158/3	0.105
158/1	0.089
165	0.081
166	0.081
167	0.057
169/1	0.032
169/2	0.032
169/3	0.077
172	0.101
171/2, 171/3	0.032
173, 174/2	0.081
174/1	0.020
258, 262/5	0.012
262/2, 270, 295/11, 295/12,620/1	0.045
124	0.012
योग	2.688

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुखापाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 594/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-गोबरा, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/2	0.121
योग	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कौडिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 596/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-बसंतपुर, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.298 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
46/5	0.012
48/1	0.085
20/1 ख	0.024
251/1	0.012
47/1	0.049
132/2, 230, 231	0.077
47/2	0.097
19	0.097
20/1 ज	0.012
20/1 ग	0.109
20/1 भ	0.012
20/1 ङ	0.061
20/1 द	0.028
20/1 स	0.081
20/1 म	0.032
21/4	0.004
22/1	0.109
22/3	0.045
24/3	0.016
24/1	0.065
23/2	0.004
24/2	0.049
232/1	0.012
25	0.117
233/5, 233/6	0.036
233/1	0.053
योग	1.298

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डभरा माइनर नं. 2

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 597/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जांजगीर- चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील- डभरा

(ग) नगर/ग्राम- फरसवानी, प. ह. नं.7

(घ) लगभग क्षेत्रफल--3.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1683/2	0.032
1953, 1954	0.036
2225	0.032
1686	0.040
1696/2	0.194
1696/1	0.117
2224/3	0.036
2222/1	0.101
2222/3	0.065
2221/2	0.024
2221/3	0.057
2222/2	0.008
2219/1, 2	0.073
2064	0.049
1706	0.024
2195/1	0.036
1895	0.073
2218/2	0.085
2217	0.020
1900/2	0.024
2216	0.057
2215/1	0.040
2210/2	0.008
2214	0.045
2212/3	0.073
2211/1	0.020
2207/1	0.016
2207/2	0.121
2203/2	0.028
2199/2 क	0.057
2195/3	0.073
1097/1	0.036
1086/1	0.024
2195/2	0.040
1894/1, 2, 3	0.065
1902, 1903, 1905, 1906	0.073
1904/2	0.040
2039/1	0.032
1901, 1900/1	0.032
1955, 1952	0.081
1956/1	0.008
1949, 1951	0.141
1946/1	0.057
1945	0.057
1944/2	0.049
2038/2	0.016
2047/2	0.057
2047/1 ख	0.057
2039/2	0.065
2040/1	0.032
2040/2ग	0.032
2047/1 ग	0.049
2047/1 क	0.040
2046	0.040
2066, 2067	0.073
2068/1	0.016
1094/1 क	0.121
1093	0.020
1097/2	0.008
1086/2	0.024
1081/3	0.012
योग 61	3.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फरसवानी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 598/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-खैराखुर्द, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.140 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
गिरगिरा माइनर	
5	0.068
6,7	0.036
8/3	0.024
9/2	0.024
10	0.032
11	0.040
12/1	0.012
230/1	0.012
13/3	0.008
229	0.048
228	0.020
227	0.020
226	0.028
225	0.028
224/1	0.024
224/2	0.024
224/3	0.024
224/4	0.024
223	0.081
222/1	0.024
222/2	0.024
222/3	0.024
222/4	0.024
220/1	0.052
220/2	0.052
219/1 क	0.020
14/1	0.008
योग 27	0.805
गिरगिरा माइनर-II	
411/2, 412/4	0.214
432	0.052
433/1	0.016
433/2	0.012
439	0.016
440	0.020
438	0.020
441, 443	0.089
452	0.081
455	0.040
456	0.064
457/2	0.008
373/1	0.077
444	0.020
372	0.085
371/2	0.117
362, 367/1, 367/2, 364, 365, 366	0.056
361	0.012
624/3, 615	0.052
626/2	0.012
627	0.008
योग 21	1.071
गिरगिरा माइनर-III	
362, 367/1-2, 364, 365, 366	0.040
363	0.036
373/1	0.044
374/2	0.044
274/3	0.052
276/1	0.024
276/2	0.024
योग 7	0.264
कुल योग 55	2.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गिरगिरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 599/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.011 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2373	0.040
2372/3	0.012
2372/4	0.061
2404/3, 2400/6	0.077
2407/2	0.004
2408/2	0.061
2409/2	0.045
2409/3	0.004
2409/1 ख	0.028
2417/3, 4	0.053
2423/3	0.040
2423/5	0.004
2422/1	0.049
2422/2	0.040
2429/1	0.016
2429/2, 3	0.105
2477/3	0.069
2435	0.049
2436/2	0.040
2436/1	0.049
2456/3, 9, 1456/1, 2	0.105
2457/1	0.016
2456/7	0.016
2468/5, 6, 7	0.028
योग 24	1.011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भेंड़ीकोना माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 601/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-वरतुंगा, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.650 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1409/1	0.093
1409/3	0.081
1409/2	0.101
1413	0.012
1312	0.020
1411	0.153
1410	0.040
1419/2	0.097

(1)	(2)
1419/1	0.053
योग 9	0.650

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े मुड़पार सब डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 602/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-खैरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.283 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
438	0.032
439	0.057
440	0.008
56	0.065
436/8	0.008
442/1	0.040
442/2 क	0.065
442/2 ग	0.057
454	0.036
453	0.040
403/3	0.004
450/1	0.024
445/2	0.016
445/1	0.045
445/3	0.045
446/2	0.057
403/5	0.053
371/1	0.008
271/2 क	0.093
444/1	0.024
370/1	0.028
370/3	0.024
47/1, 48/1, 47/2	0.045
49/1	0.004
41/6	0.073
41/1	0.109
41/4 क	0.012
52/2	0.020
455	0.004
53/1	0.057
55	0.065
441/4	0.065
योग	1.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरा-माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 603/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-कुसमुल, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.965 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
131	0.194
134	0.045
132/3	0.008
133/3	0.149
133/1	0.064
144	0.113
143/2	0.073
133/4	0.028
145/1, 2, 4	0.137
362/1	0.036
281/2 क	0.020
145/3	0.020
146/1	0.028
146/4	0.053
147/3	0.040
147/2	0.020
148/3	0.105
117/1	0.016
156/10	0.081
360/6	0.036
156/5	0.032
363/2	0.036
156/6	0.012
360/1	0.036
158/1	0.012
157	0.109
221/8 ग	0.049
161	0.052
222/6	0.061
370	0.012
162/1	0.020
222/2	0.182
362/4	0.024
221/17	0.024
221/8 ख	0.098
221/8 क	0.049
221/9	0.032
375/1	0.020
190/1 ग	0.020
221/10	0.065
221/2	0.053
221/7	0.182
221/4	0.109
221/5	0.049
221/11	0.020
220/1	0.073
220/2	0.028
219/1	0.008
279	0.024
369/1 ग	0.094
369/1 घ	0.141
369/3	0.086
369/4	0.194
368/2	0.077
368/1	0.073
366/5	0.049
422	0.016
368/3	0.081
367/5	0.020
366/1	0.032
420	0.008
421/1	0.028
366/3	0.008
362/3	0.028
362/2	0.020
359/3	0.049
359/2	0.053
359/1	0.105
419	0.004
423/1	0.008
363/4	0.012
363/1	0.028
363/3	0.036
360/2	0.040

(1)	(2)
395/1	0.008
396/1, 3	0.057
394/1	0.057
417	0.008
416/1	0.045
421/2	0.032
416/2	0.008
413	0.117
465/1, 466/1	0.271
369/1 क	0.024
280	0.291
योग 85	4.965

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े मुड़पार सब डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 605/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-खोथर, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.866 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1091	0.045
1093/2	0.186
1120/2	0.032
1081/4	0.016
1121	0.049
1155	0.028
1142	0.081
1122	0.016
1154/1	0.045
1153/2	0.028
1136	0.024
1154/3	0.057
1153/1	0.004
1137/1	0.117
1141	0.065
1137/2	0.073
योग 16	0.866

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिरिया-गढ़ माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 606/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दुमुड़ी, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.697 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
399/2	0.061
391/1	0.149
389/2	0.057
76/1	0.036
390	0.028
388	0.057
387/2	0.012
385/3	0.049
387/1	0.032
385/2	0.045
66/3	0.045
67/2	0.061
71/4	0.040
71/3	0.036
71/2	0.061
76/3	0.036
63, 64, 70	0.182
61/2	0.036
79/2	0.028
79/5	0.004
80/1	0.061
80/3	0.036
81/3	0.008
81/1	0.004
81/3	0.004
80/2	0.036
89/2, 3	0.004
80/4	0.061
105	0.364
69	0.036
71/8	0.028
योग 31	1.697

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतापाली सब डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 607/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-खोधर, प. ह. नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.136 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1079/5	0.105
1082/1	0.101
1083/1	0.085
1083/2	0.081
1091	0.129
1090	0.093
1096/7	0.045
1096/1	0.028
1096/9	0.053
1096/8	0.020
1116	0.069
1114/1	0.085
1108/1	0.028
1108/2	0.028
1108/3	0.028
1108/4	0.032
1108/5	0.032
1109/1	0.049
1103	0.045
योग	1,136

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतापाली सब डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 608/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-धवराभाठा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.905 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
रेड़ा माइनर-I	
135/2	0.097
135/1	0.154
134/1	0.101
122/1	0.048
122/2	0.048
123	0.101
119	0.036
118	0.040
117	0.044
116/3	0.036
116/2	0.036
116/1	0.028
114/3	0.040
114/6	0.020
114/4	0.032
114/8	0.016
114/10	0.016
64/3	0.016
64/4	0.012
65	0.076
52	0.064
51/2	0.048
50/2	0.052
333	0.085
338	0.052
339	0.012
340/2	0.008
337	0.008
370/3	0.052
341	0.016
136	0.008
योग 31	1.402
रेड़ा माइनर-II	
134/1	0.020
134/2	0.024
141	0.024
143	0.020
144/1	0.028
144/2	0.020
145/2	0.024
145/1	0.028
150	0.127
151/2	0.012
151/3	0.048
151/4	0.048
152/2	0.024
142	0.032
153/1	0.024
योग 15	0.503
कुल योग 46	1.905

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेड़ा माइनर/1 आर. 2 आर. ब्रांच .आर.सी.एच.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 609/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.447 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
82/4, 2	0.028
82/2	0.016
39, 40/1, 41/1	0.061
42	0.053
43/1	0.073
43/2	0.024
68/1	0.045
44/7	0.145
44/6	0.053
68/2, 69, 70	0.004
68/8	0.032
66	0.069
68/6	0.036
64/1	0.049
234/6	0.049
64/2	0.032
157/3	0.032
225/3	0.020
157/1	0.049
168	0.032
236/1 ग	0.032
159/3	0.045
167	0.028
166	0.032
238	0.016
239	0.008
225/2	0.065
224/1	0.040
236/1 ख	0.040
232	0.004
233/3	0.008
233/1	0.053
235	0.045
234/1	0.053
156/1	0.008
236/1 ज	0.032
237	0.020
240	0.016
योग 38	1.447

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवापारा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 612/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.265 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
961/2	0.028
962/1	0.081
1344	0.024
960/2	0.012
969/5	0.040
969/6	0.028
971/4	0.036
972/5	0.053
989	0.077
1368, 1369, 2757, 2758/1, 2759/1, 2760	0.376
2759/2	0.049
990	0.049
988/1	0.024
988/2	0.057
1264/4	0.020
1264/2	0.045
1264/1	0.089
1262/2	0.057
1245/3	0.012
1262/3	0.057
1246/2	0.141
1257	0.057
1248	0.004
1249	0.004
1250	0.016
1251/1	0.049
1251/2	0.057
1252/1	0.008
1252/2	0.057
1252/3	0.053
1346/1	0.032
1346/2	0.045
1345/1	0.016
970	0.020
1343/2	0.036
1341/1, 1342	0.117
1354	0.016
1356/1	0.004
1356/2, 1355	0.040
1360	0.109
1359/1, 2	0.061
1359/3	0.109
योग 42	2.265

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डभरा माइनर नं. 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 613/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.066 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
784/2, 3	0.065
784/1	0.121
783, 787	0.045
775	0.105

(1)	(2)
29, 30/2	0.125
30/1	0.024
774/1	0.012
32/3	0.028
36/1 ख	0.065
31/2, 14/3, 14/2	0.145
13, 34/5	0.053
36/1 ग	0.065
36/1 ज	0.053
36/4	0.053
50/1	0.024
1709/4	0.069
36/1 क	0.057
40/1	0.045
40/3	0.053
39	0.069
36/1 च	0.129
37/5	0.024
37/1	0.024
519/1	0.032
49/5, 6,7	0.004
48	0.089
49/4	0.081
49/1, 2, 3	0.121
535	0.032
534	0.012
1652	0.061
533/2 क	0.073
529, 530/1	0.065
533/3 क	0.040
521/1	0.069
533/4	0.061
531/2	0.032
1605	0.032
531/1	0.040
528	0.053
526/1	0.024
526/2	0.045
523/1	0.020
521/3	0.036
520	0.040
1591	0.004
518/3	0.040
518/2	0.061
1600/1	0.101
1615	0.012
1604	0.053
518/1	0.061
1610/2	0.045
1611	0.040
1613	0.016
1709/3	0.065
1709/9	0.053
योग 57	3.066

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ब्रांच माइनर नं. 1.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 614/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-वरतुंगा, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.412 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
963/1	0.012

(1)	(2)
1045/1	0.109
1045/4	0.061
985	0.065
984	0.040
971	0.012
983/1	0.012
983/3	0.101
980/2	0.076
821/1	0.206
972	0.012
973/1	0.053
837, 838	0.028
825/7	0.024
974	0.089
975/1	0.036
975/3	0.045
825/4	0.024
831	0.008
825/5	0.020
825/3	0.028
819	0.049
820	0.076
812/1	0.089
813/3	0.137
योग 25	1.412

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-वरतुंगा ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 615/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-खुरघटी, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/3 ख, 14/3 क	0.061
योग	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुरघटी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 616/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.470 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1305	0.040

(1)	(2)
1289/3	0.137
1289/1	0.089
1289/2	0.113
1290/1, 2	0.122
1290/3	0.049
1284/2, 1278/3, 1278/4	0.263
1279	0.085
1280/3	0.057
1280/1	0.053
1269/1	0.077
1268	0.061
1264/7, 11	0.125
988/1	0.085
1264/4	0.061
1264/5	0.053
योग 16	1.470

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ब्रांच माइनर डभरा माइनर नं. 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 617/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-ठनगन, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.924 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
505/3	0.036
510/3	0.020
510/2	0.036
511	0.036
512	0.081
513	0.053
515	0.040
516/2	0.028
516/3	0.032
530/1	0.077
529, 530/2	0.061
528	0.045
526/2	0.008
575/1, 575/3	0.020
575/2	0.020
576	0.069
577	0.073
524	0.040
578	0.020
580/1	0.040
580/3	0.032
579	0.061
1216/1	0.202
1216/4	0.113
1217/7	0.049
1216/12	0.036
1216/13	0.053
1216/7	0.097
1216/9	0.049
1217/6	0.061
1217/8	0.028
1216/6	0.057
1216/8	0.004
1224	0.008
1223	0.049
525	0.008
1222	0.008
1227	0.049
1226/1 ख, 1226/2	0.081

(1)	(2)
1233/2	0.012
1233/4	0.008
1233/1	0.020
1217/1	0.004
योग	1.924

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छुही-पाली सब डि. ब्यू..

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 619/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-खोंघर, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.499 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
371	0.008
372/4	0.016
332/4	0.020
362/2	0.045
362/1	0.049
359	0.016
358	0.040
357/1	0.008
353, 354/5	0.069
332/6	0.020
330	0.061
174	0.004
329/1	0.053
323, 328	0.065
322	0.008
173	0.008
130	0.036
134/3	0.109
127	0.020
128	0.016
129/1	0.040
135	0.020
137	0.032
136/5	0.053
136/3	0.049
138	0.020
154/2	0.004
150/2	0.008
154/3	0.028
168	0.012
158	0.081
159	0.081
171, 172	0.093
166/1	0.028
166/2	0.008
169	0.008
170/1	0.061
162/2	0.020
167/4	0.028
166/5	0.045
165	0.093
166/8	0.016
योग 42	1.499

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेल माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 620/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-वरतुंगा, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.671 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
900/6	0.008
80/3	0.061
181/2	0.061
900/4	0.012
1275, 1283	0.120
157	0.024
900/3	0.004
900/1	0.008
900/5	0.012
51	0.105
1047/3	0.008
889/1	0.008
730/1	0.016
1204/4	0.125
1400/1	0.012
1408	0.049
180	0.101
175	0.040
1407/3	0.012
1407/1	0.049
1407/4	0.012
1406/2	0.012
1200/1	0.016
1293/2	0.012
895/5	0.016
957/2	0.004
54/2	0.036
153/1	0.081
1293/3	0.020
1292/3	0.032
1293/1	0.109
1291/2	0.049
1284/4	0.026
1285/2	0.053
1285/3	0.020
1284	0.069
1001	0.032
1273	0.186
963/2	0.089
880/3	0.057
879	0.065
877/1	0.081
875, 877/2	0.060
872/2	0.081
872/1	0.020
888/3	0.020
888/1	0.008
947/2	0.008
895/4	0.004
895/1	0.024
895/6	0.016
899/2	0.020
899/3	0.008
899/5	0.008
899/1	0.024
956	0.008
946	0.012
955	0.012
947/1	0.008
927/2	0.012
1057	0.004
961/1	0.008
1085	0.012

(1)	(2)
931	0.012
943/2	0.008
951	0.012
960/2	0.012
148/2	0.008
961/2	0.016
720/1	0.040
56/1	0.053
1045/3	0.081
1046/4	0.020
1039	0.140
1043	0.121
1041/1	0.008
989/3	0.012
993	0.020
991, 1037	0.032
992	0.036
1010/2	0.040
785/1	0.040
1016/3	0.020
996/2	0.008
1000, 1007	0.093
1038	0.081
720/2	0.040
71	0.020
72	0.081
79/3	0.044
721	0.065
723/2	0.036
723/1	0.020
724/5	0.020
730/2	0.012
731/2	0.012
731/1	0.016
179/1	0.040
181/1	0.028
183	0.061
181/4	0.045
55	0.044
184	0.040
139/2, 173/2	0.057
139/1	0.008
140/3	0.073
172/2	0.061
141/1	0.032
172/5	0.057
150/2	0.057
162	0.057
44/3	0.008
160	0.093
161	0.012
158	0.057
153/2	0.024
95/2, 154/2	0.053
79/1	0.069
80/2	0.081
43	0.040
योग 120	4.671

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-वरतुंगा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 621/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-सिरियागढ़, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.468 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.097
667/1	0.202
312, 316	0.202
38/3	0.093
38/1	0.069
38/2	0.137
39/2	0.113
372, 373/2	0.255
39/3	0.109
39/1	0.117
275/1	0.101
291/1 क	0.186
291/1 ख	0.020
280	0.089
290	0.020
326/2	0.053
289/1	0.036
346/1	0.081
361	0.053
289/2	0.077
289/3	0.065
299/1	0.162
312/4	0.053
312/2	0.036
312/3	0.093
326/1, 327	0.073
374/4, 374/2	0.093
374/1	0.121
374/3	0.016
381	0.109
378/1	0.004
379/2, 4	0.020
379/3, 5	0.016
380/2	0.065
380/1	0.040
380/3	0.045
663/3, 4	0.024
663/1	0.093
664/1	0.049
666/1	0.069
666/2	0.032
666/3	0.032
666/4	0.032
666/5	0.016
योग 44	3.468

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिरियागढ़ माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 622/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-तेन्दुमुंडी, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.625 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
391/1	0.089
384/1 क	0.141
393/2	0.024
391/3	0.129
394/2, 398/2	0.020
384/1 ख	0.040
383/2	0.032

(1)	(2)
394/1, 398/1, 395	0.028
393/1	0.073
381, 382	0.049
योग 10	0.625

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखापाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर कें कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 623/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दुमुंडी, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.409 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
314	0.101
315/1	0.004
313	0.093
310/2	0.049
310/1	0.101
309/3	0.061
योग	0.409

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 624/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-खोधर, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.393 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
803/1	0.053
803/2	0.053
804/2	0.020
800	0.012
810	0.162
811, 812/3	0.008
809	0.012
817/2	0.049
817/1	0.049
793	0.089
792/1	0.036

(1)	(2)
783/1	0.008
786/1, 787/1	0.008
771	0.012
773	0.020
768	0.032
769	0.045
770, 746/1	0.02[illegible]
774	0.0[illegible]
671	[illegible]8
746/11	[illegible]40
746/12	0.[illegible]40
743	0.036
744	0.049
735	0.020
733/1, 2	0.053
720	0.024
673/1	0.045
673/6	0.040
674/6, 674/7	0.008
674/8	0.024
674/9	0.024
672/2, 675/2	0.210
702/15	0.020
634/2	0.040
योग 35	1.393

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोधरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 625/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-कुसुमझर, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.117 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
58	0.154
56	0.044
6/1	0.077
4	0.073
3	0.044
6/2 ख	0.053
5	0.101
8/2 ख	0.069
8/2 क	0.113
8/1	0.227
8/3	0.162
योग 11	1.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतापाली सब डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 626/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-सिरियागढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.441 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	362/1	0.049
	361	0.109
	364	0.085
	354	0.198
योग	4	0.441

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झनकपुर ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 627/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-सिरियागढ़, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.292 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3/1	0.105
	3/7	0.061
	3/5	0.061
	3/3	0.065
योग	4	0.292

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुखापाली ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 628/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-कुसुमझर, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.029 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
58	0.154
61/1	0.053
60/1	0.008
62	0.130
545	0.044

(1)	(2)
69	0.028
188	0.012
166/1	0.036
70/1	0.008
71	0.061
70/2	0.065
72/2	0.049
182/1	0.012
172/1	0.004
172/2	0.024
179/1	0.040
180/3	0.016
72/1 ख	0.008
179/2	0.109
179/3, 179/4	0.109
176	0.024
175/1	0.036
174/1	0.040
174/2	0.036
173/3	0.065
172/3	0.024
149	0.004
168	0.073
167/1	0.028
450/2	0.065
166/3	0.028
165	0.028
159/3	0.065
160	0.053
161	0.065
386, 458, 467	0.097
387, 388, 457	0.085
448	0.004
455	0.008
385, 459, 466	0.008
389/1	0.028
470	0.012
453	0.057
449	0.065
544	0.004
546	0.057
योग 46	2.029

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुसुमझर माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 629/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-झनकपुर, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.198 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
306	0.004
295/2	0.016
270/2	0.020
307	0.057
284/1	0.032
308	0.004
271/2	0.004
305	0.020

(1)	(2)
304/1	0.020
303/2	0.028
302/2	0.057
303/1	0.093
284/2	0.093
274/1	0.149
301	0.053
300/2	0.020
395/2	0.032
395/1	0.024
362/2	0.012
296	0.097
295/3	0.012
270/3	0.008
292	0.081
291	0.020
290/1	0.036
289	0.045
218/1	0.008
288	0.008
282	0.036
274/2	0.008
272/1	0.016
269	0.065
योग	1.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झनकपुर ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 मई 2003

क्र. 671/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-आडील, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.001 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
831	0.158
830	0.008
827/1, 2, 828	0.004
829/1, 2, 3, 1233	0.195
883/1	0.028
881	0.097
880, 840/1	0.020
884/2, 882	0.073
878, 879	0.044
877	0.012
876	0.154
875	0.073
865	0.028
874	0.036
868	0.053
867	0.028
862	0.004
1127	0.081
1126	0.036
1128/1	0.002
1125	0.097
1124/1	0.061
1124/4	0.032
1148	0.020
1149/1	0.081
1149/2	0.053
1149/8	0.024
1150	0.057
1151	0.004

(1)	(2)
1152/1	0.022
1160	0.065
1161	0.081
योग	1.731
831	0.020
828	0.081
825/1	0.012
827/1, 2	0.105
824/1	0.002
821/2	0.053
821/3	0.032
822/1	0.004
822/2	0.040
823/2	0.057
823/3	0.044
740	0.081
741/2	0.040
747/1	0.012
747/2	0.117
747/3	0.065
742/2	0.065
750	0.073
784/2, 783/2	0.040
785	0.040
786	0.020
787	0.016
788	0.004
789, 790, 791	0.440
431/2	0.008
431/3	0.004
430/1	0.012
429	0.012
428/1	0.004
430/2	0.008
430/3	0.008
442/1	0.004
442/2	0.002
427/1	0.004
427/2	0.004

(1)	(2)
426	0.008
425	0.008
424	0.008
423	0.008
422	0.006
421	0.006
420, 419/1	0.004
419/2	0.004
418	0.006
417	0.006
416/1	0.004
416/2	0.004
415	0.006
414/1	0.004
414/2	0.004
413	0.008
412/1	0.008
412/2	0.008
412/3	0.012
411	0.016
410/1	0.008
410/2	0.008
410/3	0.008
409	0.016
443, 444	0.016
448/1, 455/1	0.040
448/2, 455/2	0.053
449, 454, 456	0.101
331, 450, 453	0.101
307, 451, 458	0.089
305	0.004
306, 309, 452	0.069
296/2, 308	0.073
295/2, 296/3	0.040
294/2, 297/1	0.085
298/1	0.081
268	0.073
267	0.089
266	0.081
258/2	0.069
256/1	0.004
256/2	0.040
255/1	0.016

(1)	(2)
154/1	0.028
137/1	0.028
137/2	0.012
133/3	0.044
133/1	0.049
132	0.057
140/2	0.040
130/4	0.049
130/7	0.040
130/1	0.028
155	0.004
131/2	0.032
योग	2.816
कुल योग	5.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भागोडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 मई 2003

क्र. 674/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-छपोरा, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.411 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
14/1	0.024
19/1	0.024
15	0.036
16/1	0.049
16/4	0.012
20/2	0.053
20/1	0.008
19/2	0.057
64	0.004
50/1	0.049
1047/1	0.004
1286	0.020
1134	0.012
51/2	0.032
62	0.020
937	0.105
939/1	0.028
943/9	0.109
943/10	0.036
52/2	0.036
57	0.012
52/1	0.004
53/4	0.020
53/5	0.008
48/7	0.004
1215/2	0.040
1215/5	0.040
48/3	0.020
45/5	0.032
46/2	0.053
46/1	0.020
45/13	0.016
45/1	0.004
45/15	0.016
44	0.117
966	0.271
965/2	0.138
1243	0.045
1248/3	0.008
955/7	0.182

(1)	(2)
1081/2	0.004
955/5	0.129
943/2	0.146
943/8	0.036
955/2	0.036
940/2	0.004
938/12	0.004
942/1	0.004
943/3	0.045
943/7	0.016
917/1	0.020
918/1	0.004
917/2	0.016
918/4	0.032
917/3	0.045
1054/3	0.093
1054/4	0.093
1054/2	0.097
1081/1	0.040
1080	0.032
1042/2	0.020
1082	0.036
1047/2	0.012
1220	0.271
1083/1	0.040
1221	0.061
1083/2	0.028
1046	0.012
1045/1	0.057
1043	0.089
1047/4, 1047/6	0.004
1042/1	0.045
1040	0.121
1133/1	0.154
1133/3, 1133/4	0.061
1133/5	0.073
1216	0.012
1219	0.012
1217	0.138
1247	0.053
1249/3	0.012
1244	0.206
1248/2	0.024
1241/3	0.073
1241/1	0.146
1240/1	0.004
1240/4	0.004
1240/5	0.020
1240/7	0.004
1240/3	0.012
1279/2	0.032
1240/2	0.024
1281/1	0.0045
1285/2	0.016
1282	0.028
1283, 1284	0.024
1284/5	0.053
1284/1	0.049
1280/2	0.045
1285/2	0.028
1285/3	0.097
1280/6	0.016
1413/12	0.004
1287/2	0.004
1413/4	0.024
1413/9	0.028
1413/5	0.061
1413/2	0.045
1411/25	0.040
1411/26	0.053
1411/20	0.028
1411/8	0.049
1411/30	0.040
914	0.012
1285/1	0.045
1045/2	0.053
योग	5.411

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छपोरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 जून 2003

क्र. 685/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-ओडेकेरा, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.749 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
सराईपाली ब्रांच माइनर	
346/1 छ	0.077
346/1 ज	0.065
346/1 च	0.004
344/17	0.190
343/1	0.012
342/3	0.004
342/2	0.008
357/18	0.040
357/7	0.057
357/9	0.069
357/12	0.077
357/10	0.049
357/3	0.065
357/22	0.065
358/4	0.073
358/2	0.057
355/2	0.049
356/2	0.032
354/4	0.040
354/1	0.053
351/3	0.094

(1)	(2)
352/2	0.057
403	0.121
404	0.170
योग 24	1.528
1 एल. ब्रांच माइनर	
355/3	0.113
359/1, 2	0.065
360/4	0.024
360/2	0.024
360/3	0.024
360/5	0.024
363/1	0.093
363/4	0.073
363/3	0.097
364	0.008
363/2	0.028
365/4	0.036
366/1	0.117
367, 373	0.036
374/1 क	0.089
374/1 ख	0.004
376/7	0.057
377	0.089
378/1	0.081
378/2	0.024
379/2	0.146
379/5	0.053
380/2	0.020
380/1	0.089
381/1	0.040
383/1 च	0.053
383/1 छ	0.057
382/1	0.061
273/1	0.004
363/3	0.028
270/1	0.065
270/2	0.065
264/1	0.094
260/6	0.085

	(1)	(2)
	260/3	0.077
	260/1	0.117
	257/1	0.061
योग	37	2.221
कुल योग	61	3.749

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धुरकोट उप वितरिका/सिंघी तराई माइनर/सराईपाली ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 जून 2003

क्र. 686/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-केनापाली, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.895 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
117/2	0.012
666/2	0.109
665/6	0.016
665/1	0.040
665/2	0.036
669/1	0.032
669/2	0.036
670/1	0.008
670/2	0.016
674/3	0.012
674/4	0.016
690/2	0.012
689	0.008
688	0.040
683/11	0.020
67612, 680	0.016
67611, 680	0.065
72311, 72811	0.045
730	0.012
67812	0.004
762911	0.069
67811	0.012
64212	0.093
72912	0.065
673	0.093
679	0.008
योग	0.895

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवापारा ब्रांच उप वितरिका माइनर. (एल.)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 जून 2003

क्र. 687/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-सराईपाली, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.969 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59/2	0.040
59/3	0.194
59/4	0.008
30/4	0.028
30/1	0.073
31	0.069
32/3	0.040
33/1	0.061
33/2	0.045
34/3	0.008
34/2	0.045
34/1	0.073
54/4	0.040
54/1	0.045
51/3	0.012
51/1	0.028
51/2	0.057
52/1	0.053
52/2	0.008
48/6	0.032
48/4	0.036
48/8	0.150
48/9	0.061
9/13	0.016
186/1	0.024
187, 188	0.077
189/4	0.077
191	0.053
190/2	0.073
204	0.024
414/1	0.008
205/1	0.040
413/2	0.113
412/3	0.061
411	0.012
209/2	0.008
222/2	0.045
222/1	0.049
402, 406/1	0.053
401/3	0.077
400	0.040
398, 399	0.065
397/5	0.036
397/4	0.073
397/3	0.008
384/1	0.028
386	0.081
286/1, 287	0.097
360/3	0.077
360/1	0.061
360/2	0.105
352/2, 353/2, 356/3	0.089
353/5	0.012
352/2, 353/2, 356/3	0.093
350	0.064
351	0.024
योग 56	2.969

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सराईपाली ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 जून 2003

क्र. 690/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-कुसुमझर, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.995 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
300	0.141
746/2	0.040
813	0.053
916	0.061
301	0.045
302	0.049
746/1	0.069
910	0.024
720/2	0.049
814/5	0.016
831/1, 2	0.109
834, 835	0.085
912/2	0.004
721/1, 2, 3	0.053
721/4-6	0.053
721/5, 7	0.053
748/3	0.004
748/2	0.040
814/3	0.012
822/1	0.081
824/3	0.036
836/1	0.121
748/1	0.040
744	0.206
747/2	0.040
812	0.057
814/2 ग	0.036
817/1 ख	0.089
833	0.004
722/2, 954	0.234
814/1	0.016
814/2 ख	0.008
723, 724	0.153
814/2 क	0.004
817/1 क	0.057
823/1	0.045
814/4	0.016
824/2	0.032
903/1	0.036
818/1	0.024
823/2	0.020
832/1	0.065
922/3	0.093
922/1 क	0.024
922/1 ख	0.024
911/6	0.093
912/1	0.085
913	0.089
902/2	0.004
902/1	0.032
901	0.008
895	0.004
894/3	0.020
894/1	0.016
894/2	0.036
904/1 क	0.069
725	0.194
893	0.032
726/3	0.049
743/2	0.032
745/2	0.157
743/8, 1, 4	0.538
743/5	0.004
745/1	0.012
योग 64	3.995

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छुहीपाली सब डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 जून 2003

क्र. 691/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-बेलादुला, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.484 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
क्रमांक 3 एल	
10	0.210
28/1	0.082
28/2	0.114
11/3	0.016
11/2	0.044
11/1	0.034
11/4	0.022
11/5	0.022
30	0.108
29	0.064
31/2	0.112
27/2, 38/2	0.066
38/4	0.107
52	0.095
50/5	0.013
51	0.065
50/3	0.126
50/2	0.067
60/3	0.009
61	0.075
62	0.006
573	0.079
204/1	0.016
204/2	0.042
239	0.047
241	0.006
208/2	0.027
238/1	0.040
242/2	0.013
246/1	0.020
247/1	0.091
247/2	0.032
247/3	0.032
453/4	0.116
449, 450	0.149
451	0.089
494	0.154
500/3	0.078
500/2	0.078
495/1	0.056
499/1	0.019
499/2	0.089
498/1	0.068
498/4	0.011
496	0.005
497	0.068
772	0.055
552	0.189
553	0.033
554/2	0.042
556	0.020
557/1	0.057
584/1	0.091
584/2	0.047
572	0.107
योग	3.532
एल नहर	
761/5	0.002
750/2	0.056
749/1	0.002
761/4	0.126
761/1	0.190
योग	0.376

(1)	(2)
1 एल माइनर	
754/4	0.091
754/2	0.060
755	0.121
759/6	0.038
759/2	0.030
759/5	0.030
859/1	0.022
759/4	0.038
759/3	0.076
770	0.028
769/1	0.048
761/1	0.129
760	0.024
767	0.057
768/1	0.012
209/4	0.012
210	0.128
781	0.016
236	0.091
766	0.006
237	0.091
235/5	0.053
योग	1.201
3 एल माइनर	
110	0.009
111/1, 111/2	0.005
112/1, 112/2, 112/3	0.004
113/1, 113/2, 113/3	0.002
114/1, 114/2, 114/3	0.004
115/1, 115/2, 115/3	0.005
118	0.006
119/1, 119/2	0.004
120/1, 120/2, 120/3, 120/4	0.007
121/1, 121/2	0.005
122/1, 122/2, 122/3, 122/4	0.003
123	0.003
124/1, 124/2	0.005
126	0.005
145/1, 145/2, 145/3	0.004
148/1, 148/2	0.009
151/1, 151/2	0.004
152	0.005
153/1, 153/2	0.002
154	0.003
155	0.004
156	0.005
157	0.004
159	0.003
161/1, 161/2	0.010
162/1, 162/2	0.003
163/1, 163/2, 163/3	0.004
127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6	0.008
128/1, 128/2, 128/3	0.004
130/1, 130/2, 130/3	0.004
131/1, 131/2	0.003
132	0.004
134	0.005
136	0.004
137	0.004
138	0.005
139/1, 139/2	0.009
142/1, 142/2, 142/3	0.012
143/1, 143/2	0.009
144	0.005
146	0.006
150/1, 150/2, 150/3	0.007
179	0.005
180/1, 180/2	0.004
181	0.005
183	0.004
185	0.002
186	0.002
190	0.007
191/1, 191/2, 191/3	0.005
192	0.005
194	0.007
195	0.007
164/1, 164/2, 164/3, 164/4	0.004
166/1, 166/2	0.003

(1)	(2)
167	0.003
168	0.003
171	0.003
172	0.003
173	0.006
174	0.006
175/1, 175/2, 175/3	0.006
176	0.009
177	0.010
178	0.006
179	0.005
180/1, 180/2	0.004
181	0.005
183	0.004
185	0.002
186	0.002
190	0.007
191/1, 191/2, 191/3	0.005
192	0.005
194	0.007
195	0.007
196	0.003
197	0.003
198/1, 198/2	0.003
199	0.005
200/1, 200/2, 200/3	0.003
201/1, 201/2, 201/3, 201/4	0.003
202	0.003
140	0.009
149	0.007
193/1, 193/2	0.005
योग	0.375

2 आर वितरिका

(1)	(2)
5	0.062
6	0.073
7	0.062
4/1	0.031
4/2	0.055
9	0.066
8	0.008
10	0.144
24	0.113
25	0.073
26/4	0.141
26/5	0.009
26/3	0.040
26/2	0.051
97/2	0.029
97/1	0.029
98	0.050
99/1	0.028
99/2	0.028
100/1	0.006
100/2	0.004
67/2	0.056
67/1	0.028
71/2	0.070
155/1	0.076
155/2	0.063
154/2	0.016
156	0.052
158/4	0.159
158/3	0.173
162/3	0.030
162/1	0.009
164	0.015
175	0.015
176/1	0.016
597	0.025
605/2	0.051
605/1	0.017
610	0.038
612/2	0.015
611	0.036
612/1	0.004
616/2	0.038
617/2, 3	0.040
618/1	0.035
620	0.026
615	0.026
621	0.050

(1)	(2)
622	0.025
623	0.016
644	0.012
643	0.013
640	0.034
642	0.010
439	0.043
638	0.055
641	0.008
637/3	0.050
637/2	0.040
635, 636	0.010
637/1	0.012
667	0.042
671	0.033
672	0.046
663	0.067
675/2	0.017
662/2	0.046
692	0.025
693	0.032
691/1	0.043
695	0.011
690/2	0.057
696/1	0.082
707	0.084
705, 706	0.025
714	0.011
704/2	0.041
703	0.075
806/1	0.028
805/1	0.039
807/1	0.033
802/3	0.039
847	0.082
808	0.023
846	0.075
845	0.062
843/1	0.003
821	0.062
844	0.015
820	0.005

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
822	0.016
823	0.013
825	0.035
831, 832	0.041
830	0.003
176/2	0.008
176/3	0.008
804	0.057
826	0.007
योग	4.000
कुल योग	9.484

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कचन्दा उप वितरक, 3 एल, 4 एल, 2 आर ब्रांच माइनर 1 एल. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 जून 2003

क्र. 701/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-फरसवानी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.204 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
691/3 क, 692/3 ख	0.016
1301/2	0.032
1301/1	0.053
1298/1	0.077
1298/2	0.004
1331/1	0.105
1331/2	0.020
1296	0.117
1336/1 ख	0.032
1336/1 घ	0.065
1336/1 च	0.004
1278/3	0.008
1333/1, 2	0.077
1334/2	0.024
1335/1	0.028
1335/2	0.024
1358/1	0.012
1360	0.081
1354	0.004
1362	0.085
1261/4	0.012
1262	0.049
1364/1	0.032
1365	0.004
1590	0.057
1589, 1591/2	0.101
1569	0.004
1571/1	0.077
योग	1.204

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरा माइनर,ब्रांच माइनर नं. 2

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 जून 2003

क्र. 702/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-फरसवानी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.970 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1040/33	0.117
1040/34	0.109
1040/35	0.053
1041/2	0.113
966/2	0.012
969	0.081
1730	0.069
1748, 1618, 1729, 1731	0.324
1630/1, 2	0.040
1589/1	0.093
1041/1	0.141
1837	0.093
1004	0.036
1003/1	0.045
1003/2	0.057
1000/1 ख	0.040
1000/1 क	0.057
1000/2	0.032
1489/3	0.012
1489/4	0.012
921/1	0.049

(1)	(2)
963/2	0.065
963/1	0.097
964	0.077
965	0.085
971/2	0.040
966/1	0.040
968/1	0.040
941/4, 5	0.053
941/3	0.004
1735	0.045
941/1	0.040
930/3	0.012
930/1	0.032
923/2	0.004
929	0.040
924/2	0.004
924/1	0.004
924/3	0.016
917/1, 2	0.053
923/1	0.040
921/5	0.061
920/2	0.004
920/3	0.004
1829	0.004
921/2	0.049
912	0.028
911	0.028
886	0.032
1831/1	0.032
885/3	0.004
885/4	0.004
885/1 क	0.053
885/1 ख	0.073
1124	0.008
1122/1, 1123	0.057
1112/1, 1112/4	0.008
1490/1	0.053
1490/4	0.053
1490/7, 8	0.065
1475/6	0.049
1476/2	0.053
1112/3	0.040
1113/1, 1115	0.085
1514/1	0.036
1487/1	0.020
1121	0.032
1825	0.053
1828/2	0.024
1827	0.008
1830	0.024
1838/1	0.069
1832	0.040
1836/1	0.012
1838/3	0.032
1573/3	0.129
1749	0.020
1566	0.040
1750/3	0.004
1750/1, 2	0.081
1616, 1734	0.053
1736	0.004
1617/3, 1632/3, 1633/3	0.012
1728/1	0.053
1626/2	0.012
1625	0.073
1573/2	0.008
1563, 1567	0.081
1571/1	0.016
1568	0.024
1564	0.040
1561/2	0.065
1560	0.121
1558/1 क	0.073
1557	0.036
1555/3	0.057
1519, 1520, 1521	0.117
1514/2	0.024
1490/2 ग	0.012
1503	0.008
1487/5	0.024
1491/1	0.020
1486/1	0.166
योग	4.970

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 जून 2003

क्र. 703/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम- धुरकोट, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.768 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1109	0.028
1111/1	0.061
1148/1	0.076
1112/4	0.040
1112/3	0.036
1145/2	0.049
1144/1	0.020
1147	0.057
1135	0.020
1134/2	0.016
1143/2	0.057
1140/4	0.061
1140/4	0.004
1136/2	0.049
1133/4, 1134/1	0.040
1133/2, 1133/1, 1133/3	0.049
1132/1	0.053
1114/1	0.040
1137	0.012
योग 19	0.768

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धुरकोट माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 जून 2003

क्र. 492/A-82/02-03/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-निमोही, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.734 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
309/1	0.053
309/2	0.061
313	0.182
364	0.020
365	0.040
330/1, 330/2, 333, 334, 335	0.218
336/3	0.202
328	0.073
324/3	0.125
352/1	0.154
352/3	0.061
357/2	0.089
356	0.036
464	0.049
366	0.473
368/2	0.235
368/3	0.142
368/4	0.028
367	0.093
369/1	0.125
370	0.085
261/1	0.210
369/2 ख	0.008
योग	2.762

(1)	(2)
352/1	0.036
352/2, 359	0.105
347/1	0.146
347/2	0.024
358	0.008
432/1	0.057
433/1	0.004
433/1	0.134
433/1	0.085
442/1	0.130
442/2	0.085
450/1	0.032
450/2, 451	0.045
127/2	0.081
योग	0.972
कुल योग	3.734

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धुरकोट उप-वितरिका नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 जून 2003

क्र. 98/अ-82/02-03/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-वरभांठा, प. ह. नं.14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.557 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
208/2	0.057
205/1, 2	0.057
203/2	0.121
97	0.032
202/2	0.053
202/1	0.016
206	0.069
[illegible]3/1	0.012
83/1	0.093
199/1	0.138
110/2	0.065
147/4	0.061
148	0.061
145	0.105
144/1	0.194
143/1	0.057
112/107	0.194
113/2	0.081
95/1	0.061
85/4	0.121
83/2	0.024
88	0.085
226	0.073
221/1	0.012
207	0.028
210	0.154
225	0.121
223	0.097
224/1	0.036
220	0.154
222/1	0.028
200/7	0.040
200/8	0.057
योग	2.557

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भात-माहुल माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2003

क्रमांक एफ 73-78/2003/उ. शि./38.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 25 (2) के अंतर्गत इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन ट्रांसफार्मेशन, रायपुर के शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत, विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों को उपनियम (4) के अंतर्गत सहमति प्रदान करता है, तथा उपनियम (5) के अंतर्गत प्रस्तुत 30 प्रथम संविधियां अनुमोदित करता है.

यह संविधियां राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, अवर सचिव.

INTERNATIONAL UNIVERSITY FOR HUMAN TRANSFORMATION

RAIPUR

FIRST

STATUTES

INTERNATIONAL UNIVERSITY FOR HUMAN TRANSFORMATION

Established under section 5 of the Chhattisgarh Niji Kshetra Viswa Vidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002, vide Notification of the Government of Chhattisgarh NO F 73-78/2003/H.E./38, dated 28th June, 2003, and Gazette Publication dated 4th July, 2003

FIRST STATUTES

Made in accordance with the provisions in Sections 25 of the Chhattisgarh Niji Kshetra Viswa Vidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002

1.0 Short Title, Extent and Commencement

1.1 These Statutes shall, here-in-after be called, The FIRST STATUTES of the 'INTERNATIONAL UNIVERSITY FOR HUMAN TRANSFORMATION,' 2003.

1.2 These First Statutes are applicable to 'INTERNATIONAL UNIVERSITY FOR HUMAN TRANSFORMATION' and any matter relating and incidental thereto.

1.3 These First Statutes shall come into force on the date of publication of these First Statutes by the Government of Chhattisgarh in the Official Gazette.

1.4 The Registered office of the 'INTERNATIONAL UNIVERSITY FOR HUMAN TRANSFORMATION' shall be located at Raipur, Chhattisgarh, India.

2.0 Definitions (in alphabetic order)

In these First Statutes unless and otherwise the context demands:

2.1 **Academic Centres** mean Distance Education Centres approved by the University for imparting education in formal mode in respect of any or all courses offered by the University and even in new innovative courses not offered by the University but approved by them and located within or outside the state of Chhattisgarh in India and abroad. Such centres shall be designated as Distance Education Academic Centres (DEAC). Such centres shall function independently within the framework of the University norms.

2.2 **Academic Council** means the Academic Council constituted under Section 22 of the Act and under Section 13.0 of these First Statutes.

2.3 **Academic Staff** means such categories of staff as are designated as academic staff by the ordinances.

2.4 **Academic Year** ordinarily means the period from 01st July of any year to 30th June of the following year or the dates announced by the Academic Council for a particular academic session.

2.5 **Act** means, the Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwa Vidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002.

2.6 **Ad-hoc committee** means a committee constituted under the Section 19.0 of these First Statutes.

2.7 **Administrator** means the officer appointed by the Governing Body to exchange correspondence on behalf of the University, to sign and authenticate records on behalf of the University, to obtain reports and returns from Colleges and schools of the University and liaise with State Government, UGC and other State Authorities, to generally supervise the administrative functions of the University and manage the office of the Registrar in his absence.

2.8 **Affiliation** means and includes together with its grammatical variations in relation to all institutions, colleges and schools, recognition of such institution, colleges, schools by, association of such colleges and schools with, and admission of such schools, colleges, institutions to the privileges of, a University. These institutions, schools and colleges may be located in or outside the state of Chhattisgarh which includes outstation and foreign countries.

2.9 **Authorities** means authorities mentioned under Section 19 of the Act, and Section 9.0 of these First Statutes.

2.10 **Board** means the Board of Management of the University constituted under Section 21 of the Act and section 11.0 of these First Statutes.

2.11 **Board of Studies** means the Board of Studies of the University for each subject or group of subjects constituted by the Academic Council.

2.12 **Chancellor** means the Chancellor of the University as mentioned in Section 14 of the Act and Section 4.0 of these First Statutes.

2.13 **Committee** means all committees constituted under Sections 15, 16, 17, 18, 19, and 20 of these First Statutes.

2.14 **Common Seal** means the authoritative seal of the University established under Section 6 of the Act.

2.15 **Courses** include programs and courses of studies imparted in the formal mode and/ or in the non-formal/ distance education mode in the institutions, colleges, schools and / or Study Centres of the University.

2.16 **Dean (College)** means the person responsible for the upkeep, development and proper utilization of infrastructure facilities of the respective school / college and fulfills the academic requirements of the systems.

2.17 **Dean (Planning & Monitoring)** means the person responsible for the preparation, monitoring and implementation of the plans of the University.

2.18 **Dean (Research)** means the person responsible for the execution and monitoring of the research schemes formulated and approved by the University Research Board.

2.19 **Dean (Students Welfare)** means the person responsible for looking after the campus amenities and general welfare of the students of schools, colleges of the University.

2.20 **Dean (Discipline)** means the person responsible for maintaining the discipline amongst the students of schools, colleges of the University.

2.21 **Director** means the officer appointed by the Governing Body for coordination the functions and activities of the Deans of schools, colleges, Study Centre and to manage the affairs of the University in the absence of the Vice-Chancellor.

2.22 **Distance education** means the education / courses/programs offered to the students on off campus mode. It includes system of imparting education through any means of Communication such as broadcasting, contact programs, internet, e-learning or the combination of any two or more of such means.

2.23 **Employee** means and includes any person appointed by the University.

2.24 **Finance Committee** means the Finance Committee constituted under Section 23 of the Act and Section 17.0 of these First Statutes.

2.25 **Financial Year** means the period commencing on the 1st April of any year and ending with 31st March of the following year or any period as prescribed by the Governing Body.

2.26 **Fund** means the General Fund established under Section 7 of the Act and Section 22.0 of these First Statutes.

2.27 **Government** means the Government of the State of Chhattisgarh.

2.28 **He** includes She and His includes Her.

2.29 **Institute** means and includes institute, institution, school and college constituted as part of the University to impart education in specified disciplines located within or outside the state of Chhattisgarh in India and/ or Abroad.

2.30 **Main Campus** means the campus of the University colleges and schools located at Raipur, Chhattisgarh, India.

2.31 **Manual of instructions** includes all rules, procedures, instructions and systems laid down by various Committees, Boards, Authorities, Officers of the University for the purposes of smooth functioning of the University.

2.32 **Ordinance** means ordinances issued by the University as prescribed by Section 27 of the Act.

2.33 **Planning Committee** means the planning committee of the University.

2.34 **Regulations** mean Regulations made under Section 37 of the Act.

2.35 **Rules** mean the Rules made under Section 36 of the Act.

2.36 **Satellite Campus** means the Campus of University Colleges and Schools located outside Raipur, Chhattisgarh, in any part of India and/or abroad.

2.37 **Sponsoring Body** means the Society for Human Transformation and Research, registered under the provisions of Chhattisgarh Panjikaran Adhiniyam, 1973, and founded by Society for Human Transformation and Research, 22-Vaishali, Pitampura, Delhi-110 088.

2.38 **Staff** means the teaching and non- teaching employees of the university who are on the payroll of the University and does not include any casual, temporary, contractual, ad-hoc employees or visiting persons who may be engaged for a specific assignment or task.

2.39 **States** means the states of India.

2.40 **Statutes** means the Statutes made under Section 25 and 26 of the Act and includes the amendments, alterations and modifications to the Statutes.

2.41 **Student** means a student of the University and includes any person who is enrolled to pursue any course of study at the University at Main Campus and Satellite Campuses, any institute of the University, Study Centres, Academic Centres and Colleges affiliated to the University.

2.42 **Study Centres** means Distance Education Centres approved by the University under the advice of the Governing Body for imparting education in non-formal and distance mode in respect of any or all courses offered by the University and located within or outside the state of Chhattisgarh in India and abroad. Such Study Centres for convenience may be designated as North Delhi Campus, North-West Delhi Campus, South Delhi Campus, Mumbai Campus, Bangalore Campus, Hyderabad Campus, Pune Campus, Gurgaon Campus, Kolkata Campus, Toowoomba Campus, Australia, Minot Campus, Minot, USA, London Campus etc.

2.43 **University** means the International University for Human Transformation established under Section 5 of the Act and will have the same meaning as stated in Section 2(f) of the University Grants Commission Act 1956 as amended time to time.

2.44 **Vice-Chancellor** means the Vice-Chancellor of the University appointed within the meaning of section 15 of the Act and Section 5.0 of these First Statutes.

2.45 **Visitor** means the Visitor as defined under section 13 of the Act.

3.0 **Objects of the University** The objects of the University are listed in succeeding paragraphs:

3.1 To provide for instructions in all branches of learning in Higher Education as the University may consider appropriate and to make provision for research, advancement and dissemination of knowledge.

3.2 To establish main campus in the State of Chhattisgarh and to affiliate Colleges/Institutions, approve Study Centres, Academic Centres, Off-

Campus Learning Centres/Institutions, and run Satellite Campus(es) at different locations in India and abroad.

3.3 To create higher levels of intellectual abilities.

3.4 To institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of assignments and examinations, or any other mode of evaluation and assessment as laid down by the Academic Council.

3.5 To withdraw degrees, diplomas, Certificates and other academic distinctions for good and sufficient cause as recommended by the Academic Council.

3.6 To offer continuing, distance education, and Online education programs.

3.7 To ensure that the standard of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by the related regulatory body.

3.8 To encourage and promote research activities and set up centres of excellence for pure and applied research and development, and institute awards and fellowships for undertaking research at University as well as at other Institutions/Centres of the University in India and Abroad.

3.9 To affiliate, recognize or collaborate with any other college, University, research institution, industry association, professional association or any other organization in India or abroad to conceptualize, design and develop and run specific educational and research programs, training programs, exchange programs and any such other programs which the University may consider appropriate for students, faculty members and others.

3.10 To undertake surveys, studies and consultancy for any organization in India or abroad.

3.11 To undertake programs for the training and development of faculty members of the University and other institutions in India or aboard.

3.12 To undertake collaborative research with any organization in India or abroad, and undertake commercialization of technologies.

3.13 To develop, register and license all forms of Intellectual property rights including trademarks, copyrights, know-how and patents, etc.

3.14 To conceptualize design, develop and commercialize various products, equipment and machinery as part of the research and development activity.

3.15 To establish State-of–the–art facilities for the promotion and advancement of education, training and research activities.

3.16 To establish examination centres.

3.17 To confer Honorary degrees and other academic distinctions in the manner laid down in the Statutes.

3.18 To encourage sports, cultural, extra curricular and co-curricular activities for the students and the staff.

3.19 To do all things necessary to promote the above objectives.

3.20 To pursue any other objective as may be approved by the Governing Body but within the framework of the University act.

3.21 To pursue any other objective as may be approved by the State Government.

4.0 Appointment and Powers of the Chancellor.

4.1 The Chancellor shall be appointed by the Sponsoring Body with the prior approval of the Visitor,

4.2 The term of office of the Chancellor shall be three years, and he may be reappointed for successive term(s).

4.3 The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body and the head of the University.

4.4 The Chancellor shall preside over the Convocation of the University, when the Visitor is not present.

4.5 The Chancellor shall have the following powers.

4.5.1 To call for any information on record.

4.5.2 To appoint the Vice-Chancellor.

4.5.3 To remove the Vice-Chancellor.

4.5.4 To exercise such other powers as may be delegated to him by the Governing Body.

4.5.5 The Chancellor may appoint an Academician and/or an administrator as his Advisor (s) on payment of a fixed honorarium, facilities and largest as he deems fit.

4.6. If in the opinion of the Sponsoring Body, the actions of the Chancellor are in any way detrimental to the interests of the University, it may with prior approval of the Visitor, recall and replace the Chancellor. The Sponsoring Body shall appoint such other person as may be found appropriate in the position of Chancellor to succeed the person so acting with the prior approval of the Visitor.

4.7. The Chancellor may delegate any of his powers to the Vice-Chancellor as he may deem fit in the best interest of the University.

4.8. The office of the Chancellor may be located anywhere in India or overseas.

5.0 Appointment, Powers and Duties of the Vice-Chancellor

5.1 The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Governing Body. However, the founder Vice-Chancellor shall be appointed by the Sponsoring Body.

5.2 The term of the office of the Vice-Chancellor shall initially be for a period of Four years. He may be reappointed for successive term by the Chancellor.

5.3 The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and also be the ex-officio member of the Governing Body, Board of Management, Academic Council, and such other Committees that may be set up by the Governing Body or the Board of Management from time to time.

5.4 The Vice-Chancellor shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of the various authorities of the University, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Act.

5.5 In the absence of the Chancellor, the Vice-Chancellor shall undertake all the functions of the Chancellor. He shall preside over the Convocation in the absence of the Visitor and the Chancellor.

5.6 If in the opinion of the Vice-Chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under the Act, he may take such action as he deems necessary in consultation with the Vice-Chancellor and shall at the

earliest opportunity hereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter.

Provided that if in the opinion of the concerned authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor then such case shall be referred to the Chancellor whose decision there on shall be final.

Provided further that where any such action taken by the Vice-Chancellor affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Governing Body and the Governing Body may confirm or modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

5.7 If in the opinion of the Vice-Chancellor any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by the Act, Statutes or Ordinances is likely to be prejudicial to the interests to the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within seven days from the date of its decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or party or fails to take any decision within seven days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

5.8 If at any time upon representation being made or otherwise, and after making such enquiries as may be deemed necessary, the Chancellor on the recommendations of the Governing Body may by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order.

5.9 The Vice-Chancellor may constitute such committee(s) as he deems necessary to help him in the discharge of his duties entrusted to him by or under the Act.

5.10 The Vice-Chancellor may sanction an allowance to an employee of the University for any special duties assigned to such an employee or additional duties performed by him that in the opinion of the Vice-Chancellor warrants such payments.

Provided that such allowance shall not exceed twenty percent of the basic salary of such employee.

5.11 The Vice-Chancellor may sanction such post(s) as he deems necessary to help him in the discharge of his duties.

6.0 Appointment, Powers and Duties of the Registrar

6.1 The Registrar shall be appointed by the Vice-Chancellor based on the recommendation of the Selection Committee appointed for the purpose, with the approval of the Chancellor.

6.2 The selection committee shall consist of the following members.

i. The Vice-Chancellor-Chairman.

ii. One representative of the Chancellor.

iii. One representative of the Sponsoring Body, who is also member of the Governing Body.

iv. One expert nominated by the Sponsoring Body, who is not in any way connected with the University.

6.3 The term of office of the Registrar shall be 3 years. He may be re-appointed for successive term(s).

6.4 The Registrar shall have such qualifications and experience and draw such emoluments as may be prescribed by the Board of Management from time to time.

6.5 The Registrar shall undertake all such functions and responsibilities as may be specified by the Governing Body, the Board of Management, and the Vice-Chancellor.

6.6 The Registrar shall be the ex-officio non-member Secretary of the Board of Management and ex-officio Secretary of the Academic Council and such other authorities and bodies as may be constituted by or under the Act, the Statutes and the Ordinances as recommended by the Board of Management.

6.7 The Registrar shall report to the Vice-Chancellor.

6.8 The Following shall be the duties of the Registrar:

(i) To be the custodian of the records, common seal and such other property of the University as the Governing body or the Board shall commit to his charge.

(ii) To exchange the official correspondence on behalf of the authorities of the University.

(iii) To make Agenda and issue Notices of meetings of the authorities of the University and all committees and sub-committees appointed by any of these authorities with the approval of the Vice-Chancellor.

(iv) To keep the minutes of the meetings of all the authorities and circulate the same among the members, with the approval of the Vice-Chancellor.

(v) To represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and pleadings or depute his representatives for this purpose.

(vi) To sign contracts and documents and authenticate records on behalf of the University.

(vii) To submit information, reports and documents to the Government, University Grants Commission and other Government authorities.

(viii) To generally supervise the administrative functions of the University.

7.0 Appointment, Powers and Duties of the Controller of Examination (Deputy Registrar - Evaluation)

7.1 The Controller of Examination shall be appointed by the Vice Chancellor on the recommendations of the selection committee appointed for the purpose.

7.2 The selection committee shall consist of :

7.2.1.1 The Vice Chancellor –Chairman

7.2.1.2 The Registrar

7.2.1.3 One representative of the Sponsoring Body, who is also a member of the Governing Body.

7.2.1.4 One representative of the Sponsoring body, who is not in any way connected with the University.

7.3 The Controller of Examination shall have such qualifications and experience as may be prescribed by the Board of Management from time to time.

7.4 The controller of Examination shall draw such salary, allowances and perquisites which shall be fixed by the Board of Management from time to time.

7.5 The term of office and the conditions of appointment of the Controller of Examination shall be laid down in the order of appointment issued by the Vice-Chancellor.

7.6 The Controller of Examination shall report to the Vice-Chancellor.

7.7 The following shall be the duties of the controller of Examination.

7.7.1 He shall be fully responsible for the timely and smooth conduct of the combined entrance test and the end semester/Annual examinations.

7.7.2 He shall lay down the guidelines for the setting up of the examination papers.

7.7.3 He shall appoint internal as well as external examiners through the examination committee for each subject and get at least 2 sets of the question papers prepared well in advance.

7.7.4 He shall appoint a moderation committee and get all papers moderated before these are sent for printing.

7.7.5 He shall ensure strict security and confidentiality of the examination papers.

7.7.6 He shall ensure timely dispatch of answer books and admit cards to all examination centers.

7.7.7 He shall be responsible for getting the answer books evaluated in accordance with the guidelines laid down by the paper setter.

7.7.8 He shall be responsible for getting the result compiled accurately and declared on time.

7.7.9 He shall be responsible for re-evaluation of the answer books on request from the students for a fee as prescribed by the Board of Management.

8.0 Appointment, Powers and Duties of the Chief Finance & Accounts Officer

8.1 The Chief Finance & Accounts Officer shall be appointed by the Vice-Chancellor based on the recommendation of the Selection Committee appointed for the purpose.

8.2 The Selection committee shall consist of:

8.2.1 The Vice-Chancellor –Chairman

8.2.2 One representative of the Vice-Chancellor

8.2.3 One representative of the Sponsoring Body, who is also a member of the governing Body.

8.2.4 One expert nominated by the Sponsoring Body who is not in any way connected with the university.

8.3 The Chief Finance & Accounts Officer shall have such qualifications and experience as may be prescribed by the Board of Management from time to time.

8.4 The Chief Finance & Accounts Officer shall draw such salary, allowances and be entitled to such perquisites, which shall be fixed by the Board of management from time to time.

8.5 The term of office and the term of appointment of the Chief Finance officer shall be as mentioned in his order of appointment by the Vice-Chancellor.

8.6 The Vice-Chancellor may appoint a person to officiate as the Chief Finance Officer, In the event of temporary absence of the Chief Finance and Accounts Officer.

8.7 The Chief Finance & Accounts Officer shall exercise general supervision over the funds of the University and shall have such powers and responsibilities as may be delegated or assigned to him by the Board of management or the Finance Committee or the Vice-Chancellor.

8.8 The Chief Finance & Accounts Officer shall report to the Vice-Chancellor.

9.0 Authorities of the University

9.1 The Governing Body

9.2 The Board of Management

9.3 The Academic Council

9.4 The Finance Committee

9.5 The Examination Committee

The Powers and functions of the authorities are as per the following paragraphs

10.0 The Governing Body

The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

10.1 Constitution of the Governing Body

The Governing Body shall consist of the following members:

10.1.1. The Chancellor

10.1.2. The Vice – Chancellor

10.1.3. Three persons nominated by the Sponsoring Body.

10.1.4. One representative of the State Government

10.1.5. One educationist of repute to be nominated by the Government.

10.1.6. One academician to be nominated by the Visitor.

The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body.

10.2 Terms of the Governing Body

The Members of the Governing Body shall have a term of 5 years.

10.3 Disqualifications of the Members of the Governing Body

The Member of the Governing Body shall cease to be the member under the following circumstances:

10.3.1 If the member is convicted in a court of law for any criminal act including acts of moral turpitude or for any other reason and no stay order has been passed by the higher court against conviction.

10.3.2 If the act and conduct of a member is detrimental to the interest of the University, the Sponsoring Body shall have the powers to replace or recall and such member in consultation with the nominating authority.

10.4 Powers and Functions of the Governing Body

10.4.1 The Governing Body shall have the following powers:

i. To appoint Director, to coordinate the functions and activities of the Deans of Schools, Colleges and Study Centre(s) and to manage the affairs of the University in the absence of the Vice Chancellor.

ii. To appoint all Deans/Administrator.

iii. To appoint Auditor of the University.

iv. To oversee the performance and review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the Act, Rules, Statutes or Ordinances.

v. To approve the Annual Report and Accounts of the University.

vi. To lay down the policies of the University.

vii. To take decision about the Voluntary liquidation of the University.

viii. To delegate such powers as it may deem fit to the Board of Management and other authorities or officers of the University.

10.4.2 The Governing Body shall perform such other functions and have such other powers as are not otherwise provided for and are necessary for proper functioning and administration of the University.

10.4.3 The Governing Body has the power to recall and replace any officer or authority of the University if it deems fit in the best interest of the University. It shall do so in consultation with the nominating authority and till such time a replacement is obtained will delegate the power of that authority/officer to any other authority/officer or to itself.

10.5 Reserve Powers of Governing Body

10.5.1 In case of any deadlock in the functioning of the Board of Management and if in the opinion of the Governing Body the business of the University cannot be transacted in the normal course, the Governing Body Shall have the problem to do all necessary things including superceding the Board of Management and forming a new Board to facilitate smooth functioning of the university.

10.5.2 The Governing Body may also exercise the reserve powers suo-moto or as and when a written report is submitted by any officer or authority of the University to the Chancellor or the Vice-Chancellor about the deadlock in the functioning of the Board.

10.5.3 Upon receipt of such a report the Chancellor or the Vice-Chancellor shall convene a special meeting of the Board within 5 working days for restoration of normalcy of operations.

10.5.4 The decisions taken by the Governing Body and implemented by the officers under this cause shall be final and binding on all Members of the Board and on all the Members of the Governing Body.

10.6 Meeting of the Governing Body

10.6.1 The Governing Body shall meet at least twice in a calendar year, on any working day, at the headquarters of the University or any other locations as agreed to by majority of the members

10.6.2 The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body and shall preside over the meetings of the Governing Body. In the absence of the Chancellor, the Vice Chancellor shall preside over the meeting.

10.6.3 A Notice of 07 days shall be given to the members stating the agenda for the meeting. A notice of less than 07 days may be considered sufficient if majority of the members agree to such a shorter notice

10.6.4 The quorum of the meeting shall be 5 members present in person.

10.6.5 Each member of the Governing body including the presiding officer shall have one vote and decisions at the meeting shall be adopted by simple majority.

10.6.6 The Presiding office of the meeting shall cause the minutes of the meeting to be recorded and circulated to the members within a period of one month from the date of such a meeting.

10.7 Extraordinary meeting of the Governing Body.

10.7.1 In the event of exigency and / or in the interest of the administration of University, in consultation with the Chancellor,

the Vice-Chancellor may call for an extraordinary meeting of the Governing Body circulating a resolution amongst the members.

10.7.2 The Chancellor or the Vice-Chancellor may, under exigencies, obtain the consent of the Governing Body by circulating appropriate resolution among its members any such resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Governing body.

11.0 The Board of Management

The Board of Management shall be the principle executive body of the University.

11.1 Constitution of the Board of Management

11.1.1. Following members shall constitute the Board.

i. The Vice Chancellor (ex-officio)

ii. Two nominees of the Sponsoring Body

iii. One representative to be nominated by the State Government.

iv. Senior most Professor of the University to be nominated by the State Government.

11.1.2. The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Board and the Registrar shall be the non-member Secretary.

11.1.3 The Vice Chancellor shall preside over the meetings of the Board and in the absence of the Vice-Chancellor one of the nominees of the Sponsoring Body shall conduct the proceedings of the meetings.

11.1.4 The tenure of the members of the Board of Management shall be three years, except in the case of ex-officio members.

11.2 Disqualification of the Members of the Board.

The members of the Board of Management shall cease to be the member under the following circumstances:

11.2.1. If the individual member is convicted in a court of law for criminal act including acts of moral turpitude or for any other reason and no stay order has been passed by the higher court against conviction.

11.2.2 If in the opinion of the Chancellor, a member of the Board acts in a way detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, in consolation with the nominating authority ask such member to relinquish his office from such date as may be specified.

11.3 Meeting of the Board

11.3.1 The Board of Management shall meet as often as necessary, and at least once in three calendar months

11.3.2 The meetings of the Board of Management shall be convened by the Registrar with the prior approval of the Vice-Chancellor.

11.3.3 A notice of 7 days shall be given for the meeting provided that an emergency meeting may be convened at the discretion of the Vice Chancellor at a Short notice of not less than 2 days.

11.3.4 The quorum of the meeting shall be 3 members present in person.

11.3.5 Each member of the Board including the Chairman/presiding officer shall have one vote and decisions at the meeting shall be taken by simple majority. In case of a tie, the presiding officer shall exercise a casting vote.

11.3.6 The Registrar shall cause recording of minutes of the meeting, with the approval of the Vice Chancellor and circulate them to the members concerned within a period of one month from the date of conduction of the meeting.

11.3.7 The Vice-Chancellor may, under exigencies, obtain the consent of the Board circulating appropriate resolution among its members and any resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Board.

11.4 Powers and Function of the Board of Management

The Board of Management shall have the powers to take all the necessary decisions for smooth and efficient functioning of the University. The Powers shall inter-alia include but not be limited to following:

11.4.1 Staffing :

11.4.1.1 To manage and administer all revenues and properties of the University and to conduct all administrative affairs of the University not otherwise specifically provided for.

11.4.1.2 To create teaching, academic administrative, ministerial and other necessary posts and to decide on the number, qualifications and cadre thereof, and to determine the emoluments for such posts in consultation with the Finance Committee.

11.4.1.3 To appoint Directors, Associate Director, Principals, Vice-Principals Deans, Associate Deans, Professors, Associate Professors, Assistant Professor, Senior Lectures, Lectures, Junior Lectures, Research Associate, Project Associate, Operational staff, administrative, ministerial and other staff as may be necessary on recommendations of the selection committee.

11.4.1.4 To lay down rules in respect of emoluments and duties of the various academic and non-academic staff recruited by the University.

11.4.1.5 To lay down rules for appointment of Visiting Fellows, Visiting Professors, Professor Emeritus, Consultants, Scholars and determine their terms and conditions of such appointments.

11.4.1.6 To appoint internal auditors to undertake audit of the various functions of the University.

11.4.2 Academic Matters:

11.4.2.1 To generally lay down, in consultation with the Academic Council the academic policies, education and teaching standard and policies relating to students admission, examinations and award of degrees, diplomas, certificates, and other academic awards or distinctions.

11.4.2.2 To establish, on the advice of the Academic Council, Schools and Colleges, Satellite Campuses, Study Centres, Off Campus Learning Centres, and Academic Centres specific to a discipline of Higher Education and to allocate areas of Study, Teaching and Research to them

11.4.2.3 To institute Fellowships, Scholarships, Studentships, Medals and Prizes in accordance with the regulation.

11.4.2.4 To lay down rules regarding the emoluments, traveling and other allowances of examiners appointed for examination, in consultation with the Academic Council and the Finance committee.

11.4.2.5 To acquire intellectual property rights, copy right, trade marks and the likes from any institution or organization, on such terms and conditions as the Board may determine, and pay such compensation for the acquisition as may be just and equitable.

11.4.3 Finance :

11.4.3.1 To consider the budget as recommended by the Finance committee and to approve the same with or without modification.

11.4.3.2. To manage and administer the revenues, regulate the finance accounts, investments, property and all other administrative affairs of the University and for that purpose appoint such agent(s) as it may deem fit.

11.4.3.2 To open account(s) of the university with any one or more scheduled banks and to lay down the procedure for operating the same.

11.4.3.3 To draw, accept, make endorse, discount and negotiate securities of Government promissory notes, Bills of exchange, Cheques or other negotiable instruments.

11.4.3.4 To receive and give grants, donations, contributions, gifts, prizes, scholarship fees and other moneys.

11.4.3.5 To purchase, take on lease, accept as gift or otherwise any land or buildings or work which may be required for the purpose of the University on such terms and conditions as deemed appropriate and to construct or alter and maintain any such buildings or works.

11.4.3.5.1 To transfer or accept transfer of any moveable property on behalf of the University.

11.4.3.6 To advise the Sponsoring Body on matters regarding acquisition management and disposal of any immovable property on behalf of the University.

11.4.3.7 To execute in consultation with the Sponsoring Body, conveyance, transfer, re-conveyances, mortgages, leases bonds, licenses and agreements in respect of property, moveable or immovable, belonging to the University or to be acquired for the purposes of University.

11.4.3.8 To provide building(s), premises, furniture, fittings, equipment appliances and other facilities required for smooth functioning of the University.

11.4.3.9 To appoint, in order to execute an instrument or transact any business of the University, any person as attorney of the university with such powers as it may deem fit.

11.4.3.10 To invest the funds of the university or money entrusted to the university, in such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment.

11.4.3.11 To raise and borrow notes or other obligations or securities in consultation with the Sponsoring Body by Providing properties and assets of the University as security, or borrow money without any securities, and upon such terms and conditions as it may think fit, and to pay out of the funds of the University, all expenses, incidental to the raising of money and to repay and redeem any money borrowed.

11.4.3.12 To establish, maintain and operate the General Fund as stipulated in Section 7 and 8 of the act and section 22.0 of these First Statutes.

11.4.3.13 To maintain proper accounts and other relevant records and prepare Annual Statements of Accounts including the Balance sheet for every previous financial year, in such form as may be prescribed by the Regulations and submit the same to the governing body for their approval.

11.4.3.14 To Fix limits of the total non-recurring expenditure for a year on the recommendation of the Finance Committee.

11.4.4 Student Affairs :

11.4.4.1 To regulate and enforce discipline among the students of the University and to take appropriate disciplinary action wherever necessary.

11.4.4.2 To entertain and adjudicate upon appeals and grievance of the students of the University through the Committees set up for the purpose.

11.4.4.3 To establish and regulate the maintenance of hostels for the students for the University and recognize hostels established by outside parties on the basis of the recommendations of a committee established for the purpose.

11.4.5 Administrative and legal matters

11.4.5.1 To enter into, contracts, carryout or cancel contracts on behalf of the University and to do all such acts as are necessary to raise resources for furthering the objectives of the University.

11.4.5.2 To grant leave of absence to any officer of the University other than Chancellor, and Vice-Chancellor and to make necessary arrangements for discharge of the functions of such officer during their absence.

11.4.5.3 To regulate and enforce discipline among the employees of the University and to take appropriate disciplinary action whenever necessary.

11.4.5.4 To entertain, adjudicate upon and if considered fit, to redress any grievances of the employees of the University, who may, for any reason feel aggrieved.

11.4.5.5 To select an emblem and to have a common seal for the University and provide for the custody and use of such seal.

11.4.5.6 To conduct, inspections and enquires, in various departments, centres, institutions, satellite campuses, and affiliate colleges of the University and initiate corrective action wherever needed.

11.4.6 Formation of Committees

The board of Management may form such Committees for such purpose(s) and with such powers as the Board may deem fit and co-opt such persons on these committees as it thinks fit.

12.0 Delegation of Powers

The Governing Body and the Board of Management may by a resolution, delegate to the Vice-Chancellor, Registrar, Standing Committee or the Ad-hoc Committee, such of its powers as it may deem fit, subject to the condition that the action taken by the Vice-Chancellor or the Standing Committee or the Ad-hoc Committee, or any of their officers to whom such powers are delegated, shall be reported at the next meeting of the Governing Body and the Board of Management.

13.0 The Academic Council

The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of the Act, The Statutes, the Ordinances and the Regulations, coordinate and exercise general control and supervision over the academic policies, programs of the University and be responsible for the maintenance of standards of education, teaching and training, interdepartmental co-ordination, research, examination and tests within the University.

13.1 Constitution of the Academic Council

13.1.1 The Academic Council shall consist of the following members.

i. The Vice-Chancellor-Chairman

ii. The Registrar- Non –member Secretary

iii. Deans/Associate Deans of various schools/colleges of the University and its Satellite Campuses.

iv. Three faculty members to be nominated by the Vice-Chancellor.

v. Three outside experts nominated by the Vice-Chancellor.

13.1.2 The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Academic Council.

13.1.3 The term of the members of the Academic Council other than the Ex-officio members shall be two years. However, in the case of the employees of the University, the term shall end immediately after their relinquishing their office at the University.

13.1.4 Subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinance and the Regulations, the Academic Council shall have the powers to control, Regulate, maintain the standards of education, instruction and examination of the University and shall exercise such other powers and functions as may be conferred or imposed upon it by this Act, Statutes or the Ordinances.

13.1.5 The Vice-Chancellor may invite such other persons as he may deem fit, to attend the meetings of the Academic Council from time to time. However, the invitees shall not be eligible to vote on any of the resolutions of the Academic Council.

13.2 Disqualification of the Members of the Academic Council

13.2.1 Where a person has become a member of the Academic Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

13.2.2 A member of the Academic Council shall cease to be a member in the following circumstances also.

i. If the Member resigns from the Academic Council.

ii. If the Member becomes mentally unsound.

iii. If the Member had been convicted of a criminal offence involving moral turpitude or any other reason, and a higher court has not stayed such conviction.

iv. If the Member fails to attend three consecutive meetings of the Academic Council without leave of the Chairman.

13.3 Meetings of the Academic Council

13.3.1 The Academic Council shall meet as often as may be necessary.

13.3.2 One third of the total members of the Academic Council shall constitute the quorum of the meeting of the Academic Council.

13.3.3 Resolutions of the Academic Council may be passed through circulation among all the members, except in cases where such Resolution are required to be passed at a meeting. The resolutions so circulated and approved by a simple majority shall be effective and binding as if such Resolution had been passed in the meeting of the Academic Council, provided that at least one half of the total number of the members of the Academic Council have recorded their views on the Resolution.

13.4 Functions and Power of the Academic Council

Subject to the provisions of the Act, Statutes and the ordinances, the powers of the Academic Council shall include, interalia, the following.

13.4.1 To exercise general supervision over the academic work of the University and to give direction regarding methods of instructions, evaluation, research and improvement in the academic standards.

13.4.2 To report and act on any matter referred to or delegated to it by the Board.

13.4.3 To formulate different courses and programs to be imparted to the students of the University.

13.4.4 To lay down the curriculum and frame syllabus for any of the courses and programs offered by the University, and publish text books and other instruction material for the same.

13.4.5 To innovate, constantly upgrade and improve the syllabus to include emerging and futuristic technologies.

13.4.6 To make recommendations to the Board, with regard to creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the emoluments and the duties attached thereto:

13.4.7 To formulate and modify or revise schemes for the organization of the faculties, colleges and schools and to assign to such faculties, schools and colleges their respective subjects and also to report to the Board as to the expediency of the abolition or division or combination of one faculty, colleges and school with another.

13.4.8 To make regulations for lateral entry of students from other Universities/Boards of Technical Education of Indian or Foreign Origin.

13.4.9 To promote research activities and programs, and to ask for, from time to time, reports on such research activities and programs from faculties, colleges and schools.

13.4.10 To consider proposals submitted by the faculties, schools and colleges relating to instructions, teaching facilities, etc.

13.4.11 To appoint committees for admission of students to the University.

13.4.12 To recognize diplomas and degrees of other Universities and institutions located in India and Abroad and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the University on reciprocal basis in consultation with Association of Indian Universities (AIU).

13.4.13 To make regulations for awarding admission to UG (Under-graduate) and PG (Post-graduate) programs of the University to such candidates who do not posses formal University/ Technical

Education Board/Secondary Board of Education qualification otherwise mandatory for admission to such courses but have quantifiable knowledge, skills and competencies in the related discipline.

13.4.14 To approve conferment of degrees, honors, diplomas, licenses, titles and marks of honor on the basis of the results declared.

13.4.15 To make guidelines for the award of fellowships, stipends, scholarship, medals and prizes, etc. and empower the Vice-Chancellor or any other officer of the University to approve the eligible candidates for such awards.

13.4.16 To prepare such forms and registers as are, from time to time, prescribed by regulation and to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts, as may be necessary, for the purpose of the provisions of the Act, Statutes, Ordinances and / or the regulations.

13.4.17 To make recommendations to the Board of Management on:

i. Measures for improving standard of teaching, training, consulting, research and examinations.

ii. Institution of Fellowships, Exchange Programs, Scholarships, Medals, Prizes, etc.

iii. Regulation covering the academic functioning of the Institute, discipline, residence, admissions, examinations, award of fellowships and studentship, freeship, concessions, attendance, etc. and submit the same to the Board of Management for approval.

13.4.18 To suggest measures for departmental co-ordination.

13.4.19 To appoint committees consisting of such members as the Academic Council may deem fit to deal with any of the matters ordinarily dealt with by the Academic Council.

13.4.20 To approve new courses not being offered by the University.

14.0 The Board of Advisors

The Governing Body may by a resolution constitute a Board of Advisors. The Board of Advisors will render advise to the Governing Body as also the Board of Management in managing the affairs of the University and enhancing its academic standards. The members of the Board of Advisors shall consist of eminent educationists, industrialists and public figures drawn from the governing council and academic council of the schools and colleges of the study centers of the University in India and abroad.

15.0 Examination Committee

15.1 The Vice- Chancellor shall constitute Examinations Committee for the purpose of recommending suitable persons for appointment as examiners for various examinations and for suggesting evaluation methods for each subject.

15.1.1 The Examination Committee shall consist of:

i. The Vice-Chancellor – Chairman

ii. Controller of Examination – Member Secretary

iii. Two Professors from the college/ school of the University

iv. Two experts nominated by the Vice-Chancellor.

15.2 The Examination committee shall recommend a panel of examiners for each subject of the courses of study to the Vice-Chancellor.

15.3 The Vice – Chancellor shall ordinarily appoint examiners from the panel recommended by the examinations committee he may appoint examiners outside the panel, if he deems it fit and necessary.

16.0 Results Committee

16.1 The Vice-Chancellor shall constitute a Results Committee to approve the results of various examinations before they are declared.

16.2 The Results Committee shall consist of

i. Vice-Chancellor- Chairman

ii. Deans of colleges/ schools of the University.

iii. One expert nominated by the Chancellor.

iv. The Registrar.

v. The Controller of Examination – Member Secretary

17.0 The Finance Committee and its constitution

The Governing Body shall appoint the Finance Committee.

The Finance Committee shall consist of the following members:

i. The Vice-Chancellor

ii. The Registrar

iii. The Chief Finance and Accounts Officer

The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Committee and in his absence, the Registrar shall preside over the meetings of the committee.

17.1.1 The Committee shall meet as often as necessary.

17.1.2 One third of the members of the committee shall constitute the quorum.

17.1.3 The Chief Finance Officer shall call the meeting of the Finance Committee with the approval of the Vice-Chancellor.

17.1.4 A notice of 7 days shall be given to its members stating the agenda, time and place of the meeting, provided that an emergency meeting can be called by the Vice-Chancellor at the shorter notice.

17.1.5 The Chief Finance Officer shall cause recording of the minutes and resolutions of the meeting and circulate the same with the approval of the Vice-Chancellor.

17.2 Powers and Functions of the Finance Committee.

17.2.1 To make recommendation on all financial matters to the Board.

17.2.2 To make recommendation on all capital expenditure and to make recommendation to the Board.

17.2.3 To examine the annual accounts of the University and advise the Board.

17.2.4 To examine the annual budget estimate and advise the Board thereon.

17.2.5 To review the financial position of the University periodically and recommend to the Board any action to be taken.

17.2.6 To keep a constant watch on the state of cash and bank balances and on the state of investments.

17.2.7 To ensure that the limit fixed by the Governing Body for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are spent for the purpose for which they have been granted/allotted.

17.2.8 To review the internal controls and act on the comments of the internal auditors.

17.2.9 To make recommendations to the Board on all proposals involving the raising of funds, receipts and expenditure.

17.2.10 To determine and fix the fee payable by the students of the University and lay down the procedure thereof.

17.2.11 To fix the basis for charging consultancy and other fees to be charged by the University.

17.2.12 To generally perform and act on any of the activities that may be delegated by the Vice-Chancellor, the Board or the Governing Body.

17.2.13 To recommend to the Board appropriate action against person (s) responsible for unauthorized expenditure and any financial irregularity.

17.2.14 To hold and manage the property and investments of the University including endowed property.

17.2.15 To ensure that the registers of the builders, land, furniture and equipments are maintained upto-date and that the stock taking is carried out periodically.

18.0 Selection Committee

18.1 The Board may appoint a selection committee to recommend names of the persons for the posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professor, and such other academic posts as may be prescribed by the Board of Management.

18.1 The selection committee so appointed shall consist of:

i. Three experts in the relevant disciplines nominated by the Chancellor.

ii. One Nominee of the Board of Management not connected with the University and not below the rank of a Professor.

iii. Dean of the faculty.

iv. The Vice-Chancellor – Chairman.

19 Constitution of standing committee and Ad-Hoc committee

19.1 The Governing Body and/ or the board of Management may, by a resolution in a duly conducted meeting appoint standing committee or ad-hoc committee and/ or enquiry committee by defining-its terms of reference.

19.2 The committee so appointed shall exercise their powers and functions within the delegated authority. Neither the University nor the Governing Body, nor the Board or Management shall be accountable for the authority or powers used outside the scope of delegation by such committees.

19.3 Such committee shall be automatically dissolved on completions of their tenure or after completion of the tasks assigned to them by the authority appointing them unless extension in the tenure is granted by the said authority.

20 Advisory Committees

20.1 The Governing Body may appoint an advisory council for the purpose of rendering advice to it and the Board in matters relating to the conduct of affairs of the University or for such other purposes as it may prescribe from time to time.

20.2 The Board may with the concurrence of the Chancellor, appoint an Advisory Committee consisting of five members for the purpose of rendering advice to the Board in matters relating to the conduct of various affairs of the University.

20.3 The Board may direct the Academic Council, Finance committee and/ or any other committee set up under the Act or these Statutes to appoint and / or follow the recommendations of the Advisory Board.

20.4 The Board shall define the functions and powers while establishing such committees.

21 Service conditions for Faculty members, Officer and other Employees

21.1 The Board shall formulate the terms and conditions of appointment and service of faculty members, officers and employees.

21.2 The Registrar shall issue the appointment letters to faculty members, officers and employees in accordance with the policies and procedures as formulated by the Board.

22 General Fund

The University shall establish a fund which shall be called the General Fund to which shall be credited the following namely:-

22.1 Fees and other charges received by the University.

22.2 Any contribution made by the Sponsoring Body.

22.3 Any income received from consultancy and other work undertaken by the University in pursuance of its objectives.

22.4 Trusts, bequests, donations, endowments and any other grants.

22.5 All other sums received by the University.

22.6 The General Fund shall be used for the purposes enumerated in the Act.

23 **Budget**

23.1 The Chief Finance and Accounts officer, with the approval of the Finance committee, based on the proposed budgets received from different colleges, institutes of the University shall prepare an annual budget for the forthcoming financial year, and submit at least two months before the beginning of financial year, to the Board for the purposes of approving the same. The Board, upon the merits may suggest modifications, alterations or additions or approve the same with or without modification and such approved budget will be the annual budget of the University for the year.

23.2 No expenditure other than that provided in the budget shall be incurred by the colleges, and institutes of University without the approval of the Finance Committee.

23.3 The Finance Committee may consider any revision of the Budget based on the recommendation of the Chief Finance and Accounts Officer and shall place the same for ratification by the Board, at a subsequent meeting of the Boards.

24 Accounts and Audit

24.1 The accounting year of the University shall be from 1st April of a year to 31st March of the following year.

24.2 The accounts of various institutions, schools, colleges and campuses of the University shall be consolidated by the Chief Finance and Accounts officer who shall prepare the final annual accounts, consisting of the Income and Expenditure Account and the Balance Sheet of the University and place the same before the Finance committee for their comments. The appropriations or absorptions of excess of expenditure and income shall be decided by the Finance Committee. The accounts will thereafter be adopted by the Board, after which they will be audited by the Auditors appointed by the Governing Body.

24.3 All the assets of the University shall be maintained in the name of the University and shall be used for the settlement of liabilities at the time of liquidation or closure of University under sections 33 and 34 of the Act.

24.4 The accounts of the University shall be open to examination by the Chancellor, Vice – Chancellor, Registrar, Auditor of the University and any other person authorized by the Governing Body or the Sponsoring Body for the purpose.

24.5 Every Balance Sheet and Income and Expenditure account of the University shall comply with the relevant accounting standard as may be prescribed by the Government of India in consultation with the National Advisory committee on Accounting Standards.

24.6 The Vice-Chancellor shall place audited financial statements before the Governing Body, along with the report of the Auditors for information.

24.7 The Chief Finance and Accounts Officer, thereafter along with the annual report of the University, shall submit such financial statements to the Visitor and the Government as provided under sections 30 of the Act.

25 Arbitration in case of disputes

25.1 The Vice-Chancellor shall be responsible for resolution of dispute and grievances between the teachers, officers, other employees and the students of the University.

25.2 The Vice –Chancellor may delegate the responsibility for arbitration to the Registrar or the Deans as he may deem fit.

25.3 Any person who is aggrieved of the decision of the Vice-Chancellor may appeal to the Chancellor within 15 days of communication of the decision by the Vice-Chancellor.

25.4 Where it is found necessary, the Chancellor may appoint an Arbitration Committee to arbitrate such disputes and grievances with such constitution and such powers as he may deem fit.

25.5 The procedures for arbitration of disputes shall be laid down by the Board.

26 Regulations and Manuals

26.1 Save as otherwise provided in the Act and the Statutes, the Board may make Regulations, as empowered under section 37 of the Act, to conduct the business of the University and attain the objectives for which it is established. The Regulations may, interalia relate to the following.

26.1.1.1 Establishment of Schools/Colleges/Faculty/Satellite Campuses/Off Campus Learning Centres / Study Centres, Academic Centres and halls of residence.

26.1.1.2 The Courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University.

26.1.1.3 The grant of academic award and distinctions.

26.1.1.4 Number of seats in different programs of the University, not otherwise prescribed for by any other statutory body authorized for the purpose.

26.1.1.5 Reservation of seats in different programs of the University not otherwise prescribed for by any other statutory body authorized for the purpose.

26.1.1.6 Admission of the students and their enrolment.

26.1.1.7 Fee and other charges payable by the students.

26.1.1.8 Examination and student assessment.

26.1.1.9 Award of scholarships, bursaries, fee waivers, etc. to student.

26.1.1.10 Discipline of students and staff.

26.1.1.11 Resolution of disputes among students and staff and procedure for arbitration.

26.1.1.12 Conferment of Honorary degrees to distinguished persons.

26.1.1.13 Finance and administration of the University.

26.2 The Board may appointment an ad-hoc committee to draft the Regulations and to prepare manuals for different departments / functions of the University.

26.3 The committee appointed above, shall have such members as nominated by the Board and perform all the functions as required under the order of appointment/constitution.

26.4 On satisfying themselves on the Regulations made out by the committee appointed for the purpose, the Board may adopt them for the University.

26.5 Each and every authority and officer, teaching and non-teaching staff, members of the committees and students are bound to adhere to the provisions and procedures laid down in the manual of instructions drafted for the purpose.

26.6 The Board shall have right to alter, amend, frame new rules and regulations which are not inconsistent with the provisions of the Act for the purpose of conducting the activities of the university for which it is established.

26.7 The establishment of Satellite Campuses, Off Campuses Learning Centres, Distance Education Study Centres, Academic Centres, Examination Centres, etc.

26.8 The Creation, composition and functions of any committees or body, which is considered necessary for the work of the University.

26.9 The preparations and submission of budget estimates.

26.10 The procedure for convening a meeting of any authority and the conduct of the same.

27 **Subsequent Statutes**

The Governing Body may make, amend, alter, modify these First Statutes and the Ordinances as required for the administration of the University and submit the same to the Government for approval.

28 **Ordinances**

The Vice-Chancellor of the University shall cause the Ordinances of the University to be made as per the provisions of Section 27 of the Act and shall submit the same to the Government for its approval. However, the first ordinances may be submitted to the Government for their approval by the Sponsoring Body. He shall carry out the necessary changes in the Ordinances, as suggested by the Government, and shall table the Ordinances after their due approval by the Government in the next meeting of the Governing Body. The Vice Chancellor shall follow similar procedure while making any modifications to the Ordinances, or for introducing new Ordinances.

29 **University to be open to all Classes, Castes, and Creed.**

29.1 The University shall be open to all persons irrespective of sex, caste, creed, religion race, or class or place of domicile or Nationality and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or any profession in order to entitle him to be appointed as a Teacher of the University to hold any other office therein or to be admitted as a student in the University or to graduate there at or to enjoy or exercise any privilege there of ;

29.2 Notwithstanding any thing contained in clause 9 (a), the University shall make special provisions in the Regulations for the employment or profession of educational interests of women, persons with disability or persons belonging to the weaker sections of the Society and in particular of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other Backward Classes as may be directed by the State Government from time to time.

30 Interpretation

30.1 In the event of conflict of opinion with regard to the interpretation of the Statute, Ordinances and Regulations, the provisions of the Act shall prevail.

30.2 The decision of the Governing Body on interpretation shall be final and binding.